(2) 146

राजस्थान सरकार वन विभाग

औरसे,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर ।

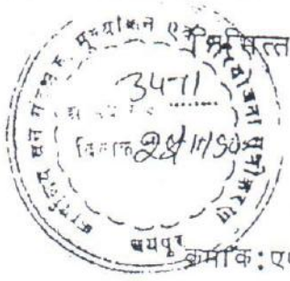

प्रति,

वन संरक्षक,
भू-संरक्षण जयपुर/आर.आर.पी. भरतपुर/विभागीय कार्य वृत्त, जयपुर/आयोजना एवं प्रबोधन, जयपुर/पश्चिमी वृत्त, उदयपुर/पूर्व वृत्त कोटा/डी.पी.ए.ई. जोधपुर/डी.ए.पी.डी. सीकर/आई.जी.एन.पी. स्टेज प्रथम/आई.जी.एन.पी. स्टेज द्वितीय बीकानेर/साहिबी परियोजना जयपुर/सामाजिक वानिकी अजमेर ।

मूल्यांकन एवं परियोजना ... 3471 दिनांक 28/11/90 जयपुर

क्रमांक: एफ. 7(3)आ.प्र./वसं/परि.सू.मू./90-91/ दिनांक नवम्बर, 90

विषय:- विभागीय वृक्षारोपण के आन्तरिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में कृपया इस कार्यालय के पत्र क्रमांक: 348-79 दिनांक 8.2.80 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ. 22(2)86/विकास/मुवसं/6848-65 दिनांक 25 अप्रैल, 86 का अवलोकन करें जिसमें मण्डल स्तर पर । वर्ष से 5 वर्ष पुराने वृक्षारोपणों में रोपित पौधों के जीवित प्रतिशत के मूल्यांकन किए जाने के संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए हैं । मुझे खेद है कि अधिकतर मण्डलों में उक्त आदेशों की पालना नहीं हो रही है और न ही आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है । इस वर्ष से संलग्न परिपत्र के अनुसार आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य प्रत्येक वन मण्डल द्वारा सम्पन्न किया जावेगा । उक्त परिपत्र के अनुसार अब प्रत्येक वन मण्डल द्वारा एक से पांच वर्ष पुराने वृक्षारोपण में मूल्यांकन कार्य के स्थान पर अब दो से पांच वर्ष पुराने वृक्षारोपणों का मूल्यांकन किया जावेगा एवं जीवित पौधे मानने का आधार खेजड़ी एवं फोग के पौधे के अलावा अन्य समस्त प्रजातियों का कम से कम एक मीटर ऊँचाई का पौधा होगा । खेजड़ी एवं फोग के जीवित पौधे मानने का आधार कम से कम 1/2 मीटर ऊँचाई का पौधा होगा ।

ब्राह्य मूल्यांकन यथावत विभागीय मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा किया जावेगा जिसके संबंध में वन संरक्षक, मूल्यांकन एवं परियोजना सूत्रीकरण द्वारा दिशा निर्देश पृथक से उनके पत्र क्रमांक एफ. 7(3)आ.प्र./वसं/परि.सू.मू./90-91/2587- दिनांक 21.11.90 द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं ।

सम्बन्धित वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ वन मण्डलों द्वारा परिपत्र के अनुसार समयबद्धानुसार कार्यवाही की जावे ।

भवदीय,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक: एफ. 7(3)वसं/आ.प्र./परि.सू.मू./90-91/ 2688-745 दिनांक 26 नवम्बर, 90.

1- प्रतिलिपि समस्त मुख्य वन संरक्षक, जयपुर

2- प्रतिलिपि वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन, जयपुर, एवं वन संरक्षक (आयोजना) जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

3- प्रतिलिपि मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/भू-संरक्षण अधिकारी---- ---------------को पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि अपने स्तर पर विभागीय वृक्षारोपण के आंतरिक मूल्यांकन का कार्य संलग्न परिपत्र के निर्देशानुसार समय पर पूर्ण कर आन्तरिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अपने वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जावे । आपके मार्गदर्शन हेतु जीवित पौधों के प्रतिशत का परिपत्र जिसे आप द्वारा उपयोग में लिया जावेगा भी संलग्न कर भिजवाया जा रहा है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर ।

यह मूल्यांकन प्रत्येक वन मण्डल स्तर पर करवाया जावेगा । जिसमें वन मण्डल के पिछले 2 वर्ष से 3 वर्ष पुराने वृक्षारोपणों का मल्यांकन प्रत्येक वर्ष के अगेल माह में होगा । यह मूल्यांकन शत प्रतिशत कार्यों का उसी वन मण्डल के कर्मचारियों द्वारा निम्नानुसार करवाया जावेगा । उदाहरणार्थ यदि किसी वन मण्डल में ए., बी., सी. तीन रेन्जें हैं तो ए. रेन्ज के कर्मचारी बी. रेन्ज के कार्यों का, बी. रेन्ज के कर्मचारी सी. रेन्ज के कार्यों का व सी. रेन्ज के कर्मचारी ए. रेन्ज के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे । मूल्यांकन करते समय जीवित पौधों का आधार खेजडी एवं फोग के पौधों के अलावा अन्य पौधों की । मीटर अथवा । मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधों को ही जीवित पौधा माना जावेगा । खेजडी एवं फोग के जीवित पौधों का आधार 1/2 मीटर अथवा 1/2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधों को ही जीवित पौधा माना जावे । आन्तरिक मूल्यांकन हेतु निम्न विधि अपनाई जावेगी । मूल्यांकन करने से पूर्व वृक्षारोपणों को दो वर्गों में विभक्त किया जावेगा । पट्टी वृक्षारोपण व ब्लॉक वृक्षारोपण ।

(अ) पट्टी वृक्षारोपण :- दो वर्ष से पांच वर्ष पुराने वृक्षारोपणों का मूल्यांकन शत प्रतिशत गणना के आधार पर किया जावेगा । इसमें प्रजातिवार पौधों की गणना कर उनकी ऊंचाई व व्यास ज्ञात कर परिशिष्ट "ए" में इन्द्राज किया जावेगा ।

(ब) ब्लॉक वृक्षारोपण :- 2 वर्ष से 5 वर्ष पुराने ब्लॉक वृक्षारोपणों का मूल्यांकन । प्रतिशत गणना के आधार पर किया जावेगा । पौधों की ~~10~~ 1 (One) प्रतिशत गणना हेतु कुल क्षेत्रफल का एक प्रतिशत के बराबर सेम्पल प्लॉट वृक्षारोपण के उपजाऊ ढलान (Textile graduate) पर डाले जाकर की जावेगी । जिसमें पौधों की ऊंचाई व व्यास ज्ञात कर परिशिष्ट "ए" में इन्द्राज किया जावेगा ।

(स) सम्बन्धित वन संरक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किये गये गणना कार्यों की 25 प्रतिशत चैकिंग दूसरे वन मण्डल के सहायक वन संरक्षक द्वारा करवाई जावे ।

(द) सम्बन्धित वन संरक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि किये गये गणना कार्यों की 10 प्रतिशत चैकिंग दूसरे वन मण्डल के उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा की जावे ।

(इ) सहायक वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक द्वारा मूल्यांकन कार्यों की स्वयं की गणना रिपोर्ट में मृत पौधों के सम्भावित कारण एवं उनके भविष्य में वृक्षारोपण के सुधार हेतु उपाय भी सुझायेंगें । जिनका इन्द्राज परिशिष्ट "बी" में किया जावेगा ।

(य) इस प्रकार बनाई गई रिपोर्ट प्रति वर्ष 15 जून तक सहायक वन संरक्षक/उप वन संरक्षक सम्बन्धित वन संरक्षक को पृथक रूप से 5 प्रतियों में प्रेषित करेंगे । तत्पश्चात वन संरक्षक उक्त रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी अंकित कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक व सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक को प्रति वर्ष 30 जून तक प्रेषित करेंगे व मण्डलवार इनकी एक-एक प्रति वन संरक्षक, मूल्यांकन एवं परियोजना सूत्रीकरण व सम्बन्धित मूल्यांकन इकाई को भिजवायेंगें ।

(र) यदि पौधों का जीवित प्रतिशत 60 प्रतिशत से कम है तो उसके कारणों का उल्लेख किया जावेगा कि किन कारणों से पौधों का जीवित प्रतिशत कम रहा है व सम्बन्धित

...2

...यक वन संरक्षक के नीचे स्तर का अधिकारी से नहीं होगा। ... जांच करायेंगे, जो किसी दूसरे वन मण्डल के ... सकते हैं जैसे प्राकृतिक, तकनीकी एवं प्रबन्धकीय। तथ्यात्मक कारण निम्न हो ...

1- प्राकृतिक :- इन कारणों में वे कारण सम्मिलित हैं जो प्राकृतिक से सम्बन्ध रखते हैं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चक्रपात, विशेष प्रकार की बीमारियों, कीड़ों का प्रकोप अथवा ऐसे अन्य कारण जिन्हें वृहद स्तर पर रोका जाना सम्भव नहीं हो।

2- प्रवन्धकीय:- प्रबन्धकीय कारण विशेष कर प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं। प्रबन्ध सम्बन्धी कारण निम्न हो सकते हैं - वन कर्मियों का अभाव, वन कर्मियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित निर्धारित न होना, स्थानीय लोगों का सहयोग न मिलना § वृक्षारोपण सामग्री जैसे थैलियां, ..., खाद, कीटनाशक, दवाइयां, वाहन आदि का उपलब्ध न होना तथा श्रमिकों को समय पर भुगतान न होना §, बजट समय पर आवंटन न होना, निरीक्षण स्टाफ द्वारा देखरेख का अभाव, अधीनस्थ स्टाफ को तकनीकी ज्ञान का अभाव, संसाधनों का अभाव आदि।

3- तकनीकी :- तकनीकी कारणों में सूक्ष्म योजना का न बनाना, उपर्युक्त प्रजातियों का चयन न होना, स्थल का चुनाव सही न होना, सुरक्षा की उपर्युक्त व्यवस्था न होना, पौधों का/सामाजिक ... न होना, पौधों का सही समय न लगाना आदि सम्मिलित है।

इस आन्तरिक मूल्यांकन कार्यों की रिपोर्टस का विश्लेषण कर वन संरक्षक, मूल्यांकन परियोजना एवं सूत्रीकरण द्वारा निम्न वर्गों में विभक्त किया जायेगा।

§1§ अच्छा वृक्षारोपण § 70 प्रतिशत से अधिक जीवित पौधे §

§2§ साधारण वृक्षारोपण § 40 से 70 प्रतिशत तक जीवित पौधे §

§3§ असफल § 40 प्रतिशत से कम जीवित पौधे §

तदोपरान्त वन संरक्षक, मूल्यांकन एवं परियोजना सूत्रीकरण द्वारा वर्गीकरण के आधार पर सम्बन्धित वन मण्डलों की आन्तरिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर स्वयं की टिप्पणी अंकित कर सम्बन्धित प्रयोक्ता इकाइयों को वाह्य मूल्यांकन हेतु प्रेषित करेंगे।

-xx-

// कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर //

क्रमांक एफ. ( ) /प्रमुवसं/94/आ.प्र./316 जयपुर, दिनांक 26-9-94

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ. 1( )94/प्रमुवसं/पी. एण्ड एम. /25 दिनांक 3.9.94 द्वारा विभाग में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं की सफल क्रियान्वयन के लिए प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। इस हेतु मुख्यालय पर वन संरक्षक, मूल्यांकन परियोजना एवं सूत्रीकरण वृत को राज्य स्तरीय प्रबोधन एवं मूल्यांकन ईकाई माना गया है। श्री प्रमुख शासन सचिव, वन ने निर्देश दिये है कि मुख्यालय स्तर पर भी भविष्य में वर्षा के दौरान प्रतिवर्ष वृक्षारोपण एवं अग्रिम मृदा कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता की चैकिंग के रूप में मूल्यांकन करवाया जावे। अतः विभाग में विभिन्न विकास योजनाओं के चालू विकास कार्यों का मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन हेतु निम्न प्रकार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

1- मूल्यांकन हेतु चालू विकास कार्य स्थल का चयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (विकास) के निर्देशानुसार किया जावेगा तथा वन संरक्षक, मूल्यांकन परियोजना एवं सूत्रीकरण, जयपुर की देखरेख में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन ईकाई एवं उप वन संरक्षक, आयोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन, जयपुर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

2- मूल्यांकन विकास कार्य की किसी भी गतिविधि की मात्रा एवं गुणवत्ता का किया जावेगा।

3- मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन दल को निम्न दस्तावेज सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी एवं क्षेत्रीय द्वारा आवश्यक रूप से तत्काल उपलब्ध कराने होंगे :-

(1) वृक्षारोपण / कार्य स्थल का सर्वेक्षण / प्रतिवेदन एवं नक्शा।

(2) उपचार (ट्रीटमेंट) योजना एवं नक्शा। जी शिड्यूल

(3) सक्षम अधिकारी से स्वीकृत अनुमान।

(4) कार्य की मेजरमेंट बुक।

(5) वृक्षारोपण कार्य यदि ठेके पर या पीसरेट पर है तो उसकी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति।

4- मूल्यांकन दल के साथ हल्का स्टाफ आवश्यक रूप से साथ रहेंगे तथा मुख्यालय दल के मूल्यांकन कार्य में सहयोग देंगे।

5- मूल्यांकन दल द्वारा वृक्षारोपण स्थल / विकास कार्यों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जावेगा :-

(1) वृक्षारोपण स्थलों के क्षेत्रफल का भौतिक सत्यापन पृथक से फिनिशिंग का सर्वेक्षण कराकर किया जावे तथा सर्वे फिल्ड बुक एवं सर्वे मैप को मूल्यांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जावे।

......

(2) वृक्षारोपण क्षेत्र में खोदे गये खड्डे, लगाये गये पौधे, जल संरक्षण, चैक डेम, फेन्सिंग आदि का शत-प्रतिशत माप किया जावेगा तथा सुनिश्चित किया जावेगा कि किया हुआ कार्य स्वीकृत प्राक्कलन एवं एम0बी0 में अंकित अनुसार हुआ है अथवा नहीं। आरोपित पौधों की गुणवत्ता व अन्य कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में भी टिप्पणी आवश्यक रूप से दी जावे। मिट्टी की विभिन्न किस्मों का भी मृदा कार्य चैकिंग करते समय ध्यान रखकर एम0बी0 से मिलान किया जावे।

(3) बीजारोपण हेतु ट्रेंचेज निर्धारित माप अथवा संख्या में खोदी गई है अथवा नहीं। बीजारोपण हेतु बीजो का उपयुक्त चयन किया है अथवा नहीं तथा बीजों की तकनीकी रूप से जांच करवाई गई है अथवा नहीं। बीजों की बुवाई का कार्य समय पर किया गया है अथवा नहीं।

(4) अंकुरित पौधों की स्थिति संतोषजनक है अथवा नहीं, आदि जानकारी भी एकत्रित की जावे। उक्त समस्त जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् मूल्यांकन दल आवश्यक समझे तो स्थानीय ग्रामीणों से भी सम्पर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त कर सकेगा तथा पूर्ण रूप से संकलित मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा कार्य कराने वाले कर्मचारियों की सूची सहित मुख्य वन संरक्षक (विकास) को तत्परता से प्रस्तुत करेगा, ताकि अग्रिम कार्यवाही समय पर किया जाना सुनिश्चित हो सके।

इन निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ ( ) /प्रमुवसं/94/ [illegible] जयपुर, दिनांक 20. [illegible]

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री प्रमुख शासन सचिव, वन, राजस्थान सरकार को उनके पत्र संख्या 276/पीएस/फोरेस्ट/94/दिनांक 31.8.94 के क्रम में।
2. श्री .... समस्त मुख्य वन संरक्षक, ...
   ....
3. श्री Y. V. Kohli .... समस्त वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी (SFE) .... Jaipur ....
   ....

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

// कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर //
= =

जयपुर, दिनांक

क्रमांक एफ ( ) /प्रमुवसं/94/आ.

पत्रिपत्र

विभागीय वृक्षारोपण के आंतरिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में इस कार्यालय के
पत्र क्रमांक 348–79 दिनांक 8. 2. 80, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 22(2)(86/विकास/
मुवसं/6848–65 दिनांक 25. 4. 86 एवं पत्र क्रमांक एफ 7(3)(आयु/वसं/परिमू/90–91/
2675–87 दिनांक 26. 11. 90 के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है,
परन्तु उनकी पालना अभी तक संतोषजनक तरीके से नहीं की जा रही है । अब
श्री प्रमुख शासन सचिव, वन ने निर्देश प्रदान किये है कि विभाग द्वारा प्रगतिरत
विकास कार्यों की मात्रा व गुणवत्ता का मूल्यांकन कर कार्यों की गुणवत्ता व मात्रा
आश्वस्त की जावे । अतः उपरोक्त परिपेक्ष में नियंत्रण अधिकारी उनके अधीनस्थ
[illegible]रत मूल्यांकन ईकाईयों से उनके क्षेत्राधिकार में क्रियान्वित की जा रही समस्त
[illegible] योजनाओं का सेम्पलिंग के आधार पर मूल्यांकन करवायेंगे तथा प्रगति
[illegible]तिवेदन व मूल्यांकन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक (विकास) को नियमित रूप से प्रेषित
करेंगे । मूल्यांकन कार्यों में चालू वित्तीय वर्ष में करवाये जा रहे कार्यों को विशेष
महत्व प्रदान किया जावे ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक

क्रमांक एफ ( ) /प्रमुवसं/94/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. श्री प्रमुख शासन सचिव, वन राजस्थान सरकार को उनके पत्र संख्या 276/पीएस/
फोरेस्ट/94 दिनांक 31. 8. 94 के क्रम में ।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक, इंदिरा गांधी नहर परि. बीकानेर/सामाजिक वानिकी परियोजना
जयपुर/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जयपुर/अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर/डी.डी.पी. जोधपुर
3. समस्त वन संरक्षकगण .....
4. समस्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी ..... Sh. V.V. Kolia (P.S.G) Jaipur
5. समस्त भू–संरक्षण अधिकारी.....

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 19.7.1994 को वन विकास योजनाओं के प्रबोधन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण :-

दिनांक 19.7.1994 को श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य वन संरक्षक (विकास), की अध्यक्षता में वन विकास योजनाओं के प्रबोधन के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:-

1-श्री बी. एल. मीणा, वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन, जयपुर ।
2-श्री के. के. गर्ग, उप वन संरक्षक (आयोजना), जयपुर ।
3-श्री आर. एस. शर्मा, उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, जयपुर ।
4-श्री वी. वी. कोटिया, उप वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन, जयपुर ।
5-श्री एस. के. विजयवर्गीय, सहायक वन संरक्षक (आयोजना), जयपुर ।

मुख्य वन संरक्षक (विकास) द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा विकास योजनाओं के प्रबोधन एवं क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार लाने के लिये किये गये है ।

इस सम्बन्ध में मुख्यालय पर विकास योजनाओं के प्रबोधन तथा मूल्यांकन हेतु कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई ।

विकास कार्यों का मूल्यांकन:- विभाग द्वारा वर्तमान में वन विकास कार्यों का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाता है:-

1- रोपित पौधों की संख्या तथा मूल्यांकन के समय जीवित पाये गये पौधों की संख्या ।
2- रोपित पौधों की मूल्यांकन के समय वृद्धि की स्थिति ।
3- यदि वृक्षारोपण में जीवित पौधों का प्रतिशत कम रहा तो उसके कारण ।
4- पौध वितरण के कार्यों का मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जाता है
1. नर्सरी से प्राप्त पौधों की संख्या ।
2. रोपित पौधों की संख्या तथा मूल्यांकन के समय जीवित रहे पौधों की संख्या ।

उक्त मूल्यांकन कार्य, वृक्षारोपण कार्य अथवा पौध वितरण कार्य की समाप्ति के दो या तीन वर्ष पश्चात् आरम्भ किया जाता था, जिसके परिणाम तीसरे वर्ष में अथवा इसके पश्चात ही उपलब्ध हो पाते थे । मूल्यांकन परिणाम प्राप्त होने में देरी होने से उनका सार्थक उपयोग नहीं हो पाता है ।

वन विभाग में कराए जा रहे वन विकास कार्यों के क्रियान्वयन में कमी के बारे में मुख्यालय को विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तथा इस संबंध में प्रतिष्ठित समाचारपत्रों में भी समाचार पढे गये है । विधान सभा में भी विकास कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न उठाए जाते रहे है । वन कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही तथा कमी विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है । राज्य सरकार द्वारा इस स्थिति पर गम्भीर चिंता व्यक्त की गई तथा

1. वन विकास कार्यों का मूल्यांकन, वृक्षारोपण/पौध वितरण के वर्ष में ही आरम्भ किया जावें, जिससे कार्य की गुणवत्ता एवम् निर्धारित भौतिक लक्ष्य की जाँच हो सके तथा इसमें कमी के लिये कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके।

2. वन संरक्षक स्तर पर भी उनके अधीनस्थ वन मण्डलों में वर्तमान में कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता तथा भौतिक कार्यों का सत्यापन कराया जाना चाहिये।

3. मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध मूल्यांकन एवम् प्रबोधन कर्मचारियों के द्वारा सैम्पल चैकिंग अथवा शिकायत प्राप्त होने पर विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन नियमित रूप से समय समय कराया जायेगा जिससे विकास कार्यों में किसी प्रकार की गड़बड़ियों की सम्भावना न्यूनतम हो सकें।

4. विकास कार्यों के मूल्यांकन के समय निम्न बिन्दुओं का अध्ययन भी किया जायेगा:-

(अ) वृक्षारोपण क्षेत्रफल तथा रोपित पौधों का सत्यापन।
(ब) रोपित पौधों की स्थल पर उपयुक्तता तथा गुणवत्ता।
(स) वृक्षारोपण में कराए गये कार्यों की समयबद्धता
(द) बीजारोपण कार्य की गुणवत्ता तथा परिणाम।

5. मुख्यालय स्तर पर मूल्यांकन कार्य मुख्य वन संरक्षक (विकास) के निर्देशन में वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवम् मूल्यांकन, जयपुर की देखरेख में कराया जावेगा। इस कार्य हेतु उप वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवम् मूल्यांकन तथा उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, सामाजिक वानिकी, जयपुर, वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवम् मूल्यांकन, जयपुर के निर्देशन में कार्य करेंगे।

6. मूल्यांकन कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश हेतु परिपत्र शीघ्र जारी किया जावेगा

वन विकास योजनाओं का प्रबोधन :

राज्य में वन विकास की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं की समीक्षा एवम् प्रबोधन राज्य सरकार, एवम् केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर वन विकास योजनाओं की भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में मासिक सूचनाएँ मँगाई जाती है। अधिकांश कार्यालयों द्वारा सूचना प्रेषित करने में निर्धारित समयावधि का पालन नहीं किया जाता है जिससे मुख्यालय स्तर पर इन योजनाओं का प्रबोधन नहीं हो पाता है। मुख्यालय स्तर पर विकास योजनाओं के प्रबोधन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न निर्णय लिये गये।

1. विभाग की विकास योजनाओं के मुख्यालय स्तर पर प्रबोधन हेतु वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवम् मूल्यांकन, जयपुर कार्य प्रभारी-अधिकारी होंगें। इस कार्य हेतु उप वन संरक्षक, आयोजना एवम् प्रबोधन, सा०वा०, जयपुर सहयोग करेंगे।

2. वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवम् मूल्यांकन विभिन्न विकास योजनाओं की भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति समस्त कार्यालयों से प्राप्त करेंगे तथा योजनावार भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक (विकास) एवम् राज्य सरकार को उपलब्ध करायेंगें।

3. प्रबोधन कार्य हेतु प्रशासनिक व्यवस्था वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन, जयपुर द्वारा अपने स्तर पर करेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के "कम्प्यूटर सैल" तथा सांख्यिकी सहायक (विकास शाखा) इस कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगे।

4. विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का प्रबोधन किया जावेगा:-

(1) समस्त राज्य आयोजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा अन्य वैदेशिक सहायता योजनाएं

की मासिक/त्रैमासिक वार्षिक आ तक एवं वित्तीय प्रगति की [illegible] सूचना

(ii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों की उपलब्धि ।

(iii) राज्य में कराए गये वृक्षारोपण स्थलों की सूचना तैयार करना तथा उनका प्रकाशन ।

4. राज्य में स्थापित पौधशालाओं तथा उनमें तैयार पौध की पुस्तिका का प्रकाशन ।

5. राज्य में संगठित की गई वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की जिलेवार सूचना संकलन तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण ।

6. इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर अन्य कार्य भी समय समय पर आवंटित किये जावेंगे । तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

मुख्य वन संरक्षक (विकास),
राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक: एफ ( ) ( )94/विकास/मुमुवस/ 12084-91 दिनांक: 3 अगस्त, 94

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।
2. वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन, जयपुर ।
3. उप वन संरक्षक (आयोजना) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, सामाजिक वानिकी, जयपुर ।
5. उप वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन, जयपुर ।
6. सहायक वन संरक्षक, आयोजना, जयपुर ।
7. सहायक वन संरक्षक, कम्प्यूटर, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर ।

मुख्य वन संरक्षक (विकास),
राजस्थान, जयपुर ।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

एफ 7(5)(आयो/वसं/परिसूम/94/ 4039   दिनांक 19-11-96

परिपत्र

विभाग में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी किये गये समस्त परिपत्रों एवं आदेशों को अधिलंघित करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए जाते है । यह केवल प्रबोधन एवं मूल्यांकन का विधि ही नहीं रहेगा बल्कि इसको विभाग में सभी विकास कार्यों में शुरू से ही लागू किया जावेगा जिससे कि सभी स्तर पर मूल्यांकन एवं प्रबोधन में सहूलियत रहे ।

1- पहाड़ी कार्य स्थल को भूतल की बनावट/प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर एवं पत्थर गढ़ो या अन्य विधि से उपखण्डों में विभाजित किया जावे तथा समतल कार्यस्थलों पर उपखण्डों का विभाजन पत्थर गढ़ो या अन्य विधि से किया जावे ।

2- प्रत्येक उपखण्ड को अलग अलग नम्बर दिये जाकर इनमें करवाए जाने वाले भू संरक्षण कार्य, मृदा कार्य, पौधारोपण व बीजारोपण हेतु प्रजातियों के चयन के सम्बन्ध में उपचार [illegible] योजना तैयार की जावे । बाड (फेन्सिग) करते समय प्रत्येक 50 मीटर पर निशादेही कर बाड के समस्त परिमाप अंकित किया जावे । विभाग द्वारा पूर्व में प्रसारित किए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए जोब नंबर आवंटित करना अनिवार्य है । प्रत्येक जोब नंबर के आगे कोष्ठक के अन्दर उपखण्ड की संख्या उल्लेखित की जावे ताकि किसी भी कार्यस्थल को कितने उपखण्डों में विभाजित किया गया है, आसानी से इसका पता लग सके ।

3- प्रत्येक कार्यस्थल हेतु एक वृक्षारोपण कार्ड (संलग्न प्रपत्र 1) में संधारित किया जावे । इस कार्ड में उपखण्ड वार करवाये गये कार्य का ब्यौरा एवं उपखण्ड का नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे । कार्ड पर कार्य स्थल का मानचित्र (स्केच मैप) भी रेखांकित किया जावे । वृक्षारोपण कार्ड पर विभिन्न विकास कार्यों का किस्म अनुसार नम्बर पृष्ठ के बायें ~~कॉलम~~ कोने पर अंकित किया जावे जो निम्न प्रकार रहेगा :-

(18) 46 (2)

क्र. सं. कार्य की किस्म

1- वृक्षविहिन वनक्षेत्रों का पुनरारोपण

2- परिभाषित वनों का पुर्नवास

3- सामुदायिक वृक्षारोपण

4- टिब्बा स्थरीकरण

5- चारागाह विकास

6- नहरों के किनारे वृक्षारोपण/रेल्वे साइड वृक्षारोपण/रोड साइड (स्ट्रिप) वृक्षारोपण

7- अन्य

4- कार्य प्रभारी कार्यस्थल पर एक दैनिक कार्य पंजिका (प्रपत्र-2) संधारित करेगा जिसमें प्रति दिन होने वाले कार्य को उपखण्ड वार नपती कर उसको प्रविष्टि पंजिका में करेगा एवं उपखण्डका कार्य पूर्ण होने के उपरांत ठेकेदार/मेट के हस्ताक्षर भी लेगा । इस पंजिका में अंकित कार्य के अनुसार ही कार्य की प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जावेगी ।

5- वृक्षारोपण कार्ड तीन प्रतियों में तैयार किया जावेगा जिसकी एक प्रति कार्यस्थल प्रभारी वन रक्षक/वनपाल, द्वितीय प्रति क्षेत्रिय वनाधिकारी कार्यालय तथा तृतीय प्रति कार्यालय उप वन संरक्षक में संधारित की जावेगी । कार्य प्रभारी द्वारा संधारित वृक्षारोपण कार्ड के आधार पर क्षेत्रिय स्तर पर एवं उप वन संरक्षक कार्यालय स्तर पर संधारित वृक्षारोपण कार्ड समय समय पर अपडेट करेंगे ।

6- कार्य स्थलों पर जो कार्य ठेका अथवा पीस रेट पर करवाया जा रहा है, उन कार्यों के बिल क्षेत्रिय द्वारा उपखण्डवार तैयार कर मण्डल कार्यालय में प्रेषित किए जावेंगे । जिन कार्यस्थल पर कार्य मस्ट्रोल पर करवाए जा रहे है वहां पर भी मस्ट्रोल पर गोशवारा भरते समय कार्य का विवरण उप खण्डवार अंकित किया जावेगा ।

7- क्षेत्रिय वनाधिकारी प्रत्येक कार्यस्थल पर हुए कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेंगे । संशोधित 7-4-05

8- प्रत्येक कार्यस्थल के कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का सत्यापन सहायक वन संरक्षक द्वारा एवं 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का सत्यापन उप वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा । सम्बंधित अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्ड में सत्यापित उपखण्डों के नीचे अपने लघु हस्ताक्षर किए जावेंगे एवं तदनुसार उसका उल्लेख निरीक्षण नोट तथा टूर डायरी में किया जावेगा । संशोधित 7-4-05

9- वन संरक्षक कम से कम तीन माह में प्रत्येक वन मण्डल का दौरा करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हो रही है, अथवा नहीं । इसी प्रकार सम्बंधित मुख्य वन संरक्षक कम से कम 6 माह में प्रत्येक वन मण्डल का भ्रमण करके उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । जहां तक संभव हो वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पूर्व में सत्यापन किए गए उपखण्डों की गणना परीक्षा मूलक रूप में अवश्य की जावे ।

मूल्यांकन

वृत्त स्तर पर मूल्यांकन :-

वन संरक्षक कार्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक प्रत्येक वन मण्डल के रैन्डम पद्धति से चयनित दो कार्यस्थलों का शत प्रतिशत मूल्यांकन वर्ष में एक बार करेंगे । इस कार्य के लिए उन्हें वन मण्डल के स्थानीय स्टॉफ या वृत्त स्तर पर उपलब्ध गश्तीदल की सहायता ले सकते है ।

परियोजना स्तर पर मूल्यांकन :-

मुख्य वन संरक्षक कार्यालय की आयोजना एवं प्रबोधन इकाई परियोजना के 40 प्रतिशत रैन्डम चयनित वन मण्डलों के कार्यों का प्रति वर्ष भौतिक सत्यापन करेंगे । वन मण्डलों के कार्यों के भौतिक सत्यापन में रैन्डम विधि द्वारा चयनित एक कार्यस्थल का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन तथा पांच अन्य रैन्डम चयनित कार्यस्थलों के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डोंका शत प्रतिशत सत्यापन भी आयोजना एवं प्रबोधन इकाई द्वारा किया जावेगा ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर पर मूल्यांकन :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मुख्यालय के अधीन आयोजना एवं प्रबोधन इकाई 20 प्रतिशत रैन्डम चयनित वन मण्डलों के कार्यों का भौतिक सत्यापन करेगी ।

वन मण्डलों के कार्यों के भौतिक सत्यापन के चयनित वन मण्डल के कम से कम एक कार्य का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन तथा चयनित वन मण्डल के प्रत्येक रेंज का रैन्डम पद्धति से चुने गए एक कार्य के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उपखण्डों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन भी आयोजना एवं प्रबोधन इकाई द्वारा किया जावेगा । इसके अतिरिक्त चयनित वन मण्डल के कम से कम एक पुराने कार्य का मूल्यांकन भी उक्त इकाई द्वारा रैन्डम पद्धति से चुनाव करकर निम्नानुसार किया जावेगा :-

एक/दो वर्ष पुराना वृक्षारोपण	- 5 प्रतिशत कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन
तीन/चार वर्ष पुराना वृक्षारोपण	- 2.5 प्रतिशत कार्यों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन
पांच वर्ष या अधिक पुराना वृक्षारोपण	- 1 प्रतिशत कार्य का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन

बाह्य मूल्यांकन :-

प्रदेश में रेण्डम पद्धति द्वारा चयनित 10 प्रतिशत वन मण्डलों का मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मुख्यालय के अधीन आयोजना एवं प्रबोधन इकाई हेतु उपरोक्त वर्णित मूल्यांकन पद्धति अनुसार स्वतंत्र रूप से समग्रिक मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य होगा । यह मूल्यांकन परियोजना काल के तृतीय वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रारंभ किया जावेगा ।

परियोजना मुख्यालय एवं बाह्य मूल्यांकन इकाईयों के द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले कार्य स्थल जहां तक संभव हो अलग अलग हो, इसका ध्यान रखा जावे ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र पर प्रभावी मूल्यांकन हो सके ।

उपरोक्त मूलभूत सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य वन संरक्षक गण इस प्रक्रिया को सुदृढ बनाने हेतु अपने अपने अधिकार क्षेत्र में प्रभावी निर्देश जारी करें ।

S/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक एफ7(3)आप्र/वसं/परि.मू./94/4040-150 दिनांक 19.11.96

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- प्र विशिष्ट सहायक, माननीय वन मंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर
1- शासन सचिव (वन) राजस्थान जयपुर
2- समस्त मुख्य वन संरक्षक
3- समस्त वन संरक्षक / उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी / भू संरक्षण अधिकारी,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर .

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ7(5)वसं/परिसूमू/96/ 561   दिनांक : 24-1-97

परिपत्र – I

इस विभाग में क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता को देखते हुए इस विभाग के परिपत्र संख्या एफ7(5)आयो/वसं/परिसूमू/94/4039 दिनांक 19.11.96 से दिशा निर्देश जारी किए है । उक्त दिशा-निर्देशों को इसी वर्ष से सभी विकास कार्यों में नियोजित रूप से शुरू से ही लागू किया जाना था ताकि प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन एवं प्रबोधन में सहूलियत रहे । उक्त दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक वनमण्डल में कार्यरत सहायक वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी विभिन्न चरणों में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में माह दिसंबर, 96 में आयोजित की गई थी । फिर भी कुछ वनमण्डलों में कार्यरत सहायक वन संरक्षक तथा वृत कार्यालय में कार्यरत उप वन संरक्षक प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए जिसे इस विभाग ने गंभीरता से लिया है । उपरोक्त प्रशिक्षण से वंचित रहे अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक अंतिम प्रशिक्षण की व्यवस्था दिनांक 30 एवं 31 जनवरी, 97 को वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में की गई है जिसकी सूचना सभी सम्बंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है । प्रशिक्षित अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे मण्डल के सभी क्षेत्रीय/वनपाल की कार्यशाला का आयोजन कर इस नई पद्धति को इस वर्ष में प्रारम्भ होने वाले सभी वन विकास कार्य के अग्रिम कार्य से लागू करावेंगे ।

उपरोक्त दिशा निर्देशों, व संलग्न 2 परिपत्रों में दिये गये निर्देशों की सख्ती से पालना सभी उप वन संरक्षक/वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक सुनिश्चित करेंगे और की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अर्द्ध शासकीय रूप से सूचित करेंगे ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ7(5)वसं/परिसूमू/97/ 562-681   दिनांक 24-1-97

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- समस्त मुख्य वन संरक्षक (नाम जद) ____________

2- समस्त वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी/पुरंरक्षण अधिकारी (नाम जद) ____________

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

परिपत्र संख्या – 2

मुख्यालय स्तर की मूल्यांकन इकाईयों द्वारा किए गए विकास कार्य के मूल्यांकन से प्राप्त परिणामो से ऐसा आभास होता है कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में नियंत्रण अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है । इससे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है । इस सम्बन्ध मे अभी तक विकास कार्यों की कमी के कारण फील्ड स्तर के अधिकारियों को जिम्मेवार समझकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही है । परन्तु कार्य की कमी होने पर केवल फील्ड स्तर के अधिकारी ही नहीं बल्कि उनके नियंत्रण अधिकारियों को भी जिम्मेवार माना जावेगा एवं कार्य में कमी की गंभीरता को देखते हुए उप वन संरक्षक एवं वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध विवश होकर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लानी पडेगी ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

(11)
25

परिपत्र संख्या -- 3

मूल्यांकन के समय अक्सर यह देखने मे आ रहा है कि अधिकांश कार्यो में आय पुस्तिका मे दर्ज किए गए कार्य के अनुरूप फील्ड पर कार्य नहीं मिलता है एवं अनेक स्थलों पर कार्य की गुणवत्ता पर भी निम्न स्तर की होती है । इन सबका एकमात्र उपाय वन विकास कार्यों का निरंतर निरिक्षण ही है जिससे ऐसे कार्यों में हो रही कमियों को हम दूर कर सके । इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि प्रदेश के सभी उप वन संरक्षक गण अपने अपने कार्य क्षेत्र का अधिकाधिक दौरा कर प्रत्येक विकास कार्य का विस्तृत रूप से निरिक्षण करें एवं तत्पश्चात अपनी निरिक्षण टिप्पणी अधिनस्थ क्षेत्रीय वन अधिकारी को देने के साथ साथ उसकी प्रति उनके नियंत्रण अधिकारी वन संरक्षक को भी प्रेषित करें । सभी वन संरक्षक कार्यालय में उप वन संरक्षक गणों के द्वारा प्रस्तुत की गई निरिक्षण टिप्पणी का मोनिटरिंग किया जावे ।

इसी प्रकार वन संरक्षक गण अपने कार्यक्षेत्र मे स्थित वनमण्डलों का दौरा करे एवं निरिक्षण प्रतिवेदन समाधित उप वन संरक्षक को देते हुए उसकी प्रति नियमित रूप से उनके नियंत्रण अधिकारी मुख्य वन संरक्षक को भी प्रेषित करेंगे वन संरक्षक गणों से प्राप्त निरिक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा प्रत्येक मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में की जावेगी । इसी बारे मे यह आग्रह किया जाता है कि मुख्य वन संरक्षक गण भी उनके कार्यक्षेत्र का दौरा कर निरिक्षण टिप्पणी से उनके अधिनस्थ कार्यालय को देते हुए उसकी प्रति मुझे व्यक्तिगत रूप से नियमित रूप से भेजने का प्रबन्ध करें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

74

27 44 73 12

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ97(5)आयो/वसं/परिसूमू/94/ 749 दिनांक 10-2-1997

परिपत्र

विभाग में चम्बल, माही, कडाना व दांतीवाडा की नदी घाटी परियोजनाएं एवं साहिबी नदी की बाढ़ग्रस्त परियोजना केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन भू व जल मण्डल द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में संचालित की जा रही है । इन परियोजनाओं के अधीन चिन्हित उपजलग्रहण क्षेत्रों में कार्य कराया जाना होता है, उनकी कार्य योजना "माइक्रो वाटर शेड प्लान" तैयार की जाकर "वाटर शेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट" उक्त कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की जाती है और इनमें स्वीकृत कार्यों को ही कराया जाता है । उक्त सम्बंधी कार्य वन भूमि, बंजर भूमि व कृषि भूमि पर कराये जाते हैं । बंजर भूमि एवं कृषि भूमि पर वृक्षारोपण सम्बंधी कार्य कराये जाने के अतिरिक्त बंजर भूमि व कृषि भूमि में कृषि अभियांत्रिकी विकास कार्य कराये जाते हैं ।

वृक्षारोपण सम्बंधी विकास कार्यों का प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन करने सम्बंधी दिशा निर्देश इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ7(5) आयो/वसं/परिसूमू/94/4039 दिनांक 19.11.96 से जारी किये जा चुके हैं । कृषि अभियांत्रिकी एवं भू संरक्षण कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन हेतु उक्त परिपत्र दिनांक 19.11.96 के बिन्दु संख्या 1 से 8 के दिशा निर्देश निम्नानुसार एवं शेष निर्देश यथावत रहेंगे :-

(1) प्रत्येक "माइक्रो वाटर शेड" को ड्रेनेज लाइन" के जलग्रहण अनुसार उप खण्डों में विभाजित किये जावेंगे । कोई भी उप खण्ड 30 हैक्टर क्षेत्रफल से कम नहीं होगा । प्रत्येक उप खण्ड का मानचित्र राजस्व खसरा के अनुसार कंपास सर्वे से तैयार किए जावेंगे और प्रत्येक उपखण्ड में जो कार्य कराये जाने हैं, उनकी स्थिति मानचित्र में चिन्हित की जावेगी । इस प्रकार प्रत्येक उप खण्ड का उपचार-मानचित्र पृथक पृथक तैयार किया जावेगा ।

(2) जहां पर उप खण्ड की सीमा प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर नहीं बन सकती हो, वहां पर सीमांकन पत्थर गाड़कर या अन्य किसी विधि से किया जावेगा । प्रत्येक कार्य के लिए कोड संख्या का आवंटन किया जावेगा और प्रत्येक कोड संख्या के आगे कोष्ठक के अन्दर उप खण्ड की संख्या उल्लेखित की जावेगी ।

(3) प्रत्येक माइक्रो वाटर शेड" हेतु एक कृषि अभियांत्रिकी कार्ड (संलग्न प्रपत्र) संधारित किया जावेगा । इस कार्ड में उप खण्ड वार कराये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा अंकित किया जावेगा । इस कार्ड के साथ प्रत्येक उप खण्ड के एक एक मानचित्र बना रखे जायेंगे और जैसे जैसे कार्य मौके पर पूर्ण होगा, उन कार्यों की स्थिति इस मानचित्र में तत्काल ही चिन्हित कर दी जावेगी । इन कार्यों की क्रमवार संख्या आवंटित कर, इस मानचित्र में उस संख्या का उल्लेख किया जावेगा और यह संख्या मौके पर भी यथा स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी ।

4) कार्य प्रभारी, कार्य स्थलों पर एक कार्य पंजिका (संलग्न प्रपत्र) संधारित करेंगे, जिसमे प्रत्येक सप्ताह में होने वाले कार्य की उप खण्ड वार नपती की प्रविष्टि इस पंजिका मे करेंगे और कार्य पूर्ण होने के उपरांत इस पंजिका में ठेकेदार/श्रमिक मुखिया के हस्ताक्षर भी करायेंगे । इस पंजिका में अंकित कार्य की नपती उपरांत मौके पर सत्यापित हुए माप के अनुसार प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जावेगी ।

5) कृषि अभियांत्रिकी कार्ड तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी प्रतियां कार्य प्रभारी के पास, कनिष्ठ अभियंता/ओवरसीयर/भू संरक्षण सहायक/क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास तथा भू संरक्षण अधिकारी/उप वन संरक्षक/योजना, अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी के पास संधारित की जावेगी । यह कार्ड अपने अपने स्तर पर समय समय पर अपडेट किये जाते रहेंगे ।

6) कार्यो के बिल्स उपखण्डवार तैयार किए जावेंगे ।

7) कनिष्ठ अभियंता/ओवर सियर/भू संरक्षण सहायक/क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रत्येक कार्य का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करेंगे ।

8) प्रत्येक "माइक्रो वाटर शैड" (कार्यस्थल) के कम से कम 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उप खण्डो का सत्यापन सहायक भू संरक्षण अधिकारी/सहायक कृषि अभियंता/सहायक वन संरक्षक द्वारा एवं 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उप खण्डो का सत्यापन भू संरक्षण अधिकारी/उप वन संरक्षक/योजना, अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी द्वारा किया जायेगा । छोटे कार्य स्थलों में उक्त प्रकार के सत्यापन का प्रतिशत बढ़ने की स्थिति रहेगी क्योंकि कोई भी उप खण्ड जिसका सत्यापन होना होगा, का क्षेत्रफल 30 हैक्टर से कम नही होगा । सम्बंधित अधिकारियो द्वारा कृषि अभियांत्रिकी कार्ड में सत्यापित उप खण्डो के नीचे अपने लघु हस्ताक्षर किये जायेंगे एवं तदनुसार इसका उल्लेख निरिक्षण नोट तथा भ्रमण डायरी में किया जायेगा ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ7(5)आप्र/वसं/परिसूच/94/750-879 दिनांक : 10-2-1997

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1- विशिष्ट सचिव, माननीय वन मंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर
2- शासन सचिव(वन) राजस्थान जयपुर
3- समस्त मुख्य वन संरक्षक
4- समस्त वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी/भू संरक्षण अधिकारी

ब

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

कृषि अभियांत्रिकी कार्ड

1- वन मण्डल ---------------------- 2- जिला ----------------

3- पंचायत समिति ------------------ 4- उप जल ग्रहण क्षेत्र व कोड संख्या ----------------

5- वर्ष ---------------------

6- "माइक्रो वाटर शेड" (कार्य स्थल) का नाम व क्षेत्रफल किस्म भूमिवार

1- प्रभारी उप मण्डल, रेंज व कार्य स्थल :

2- विभाजित उपखण्डों की संख्या :

3- गांव संख्या :

4- लाभान्वित ग्राम :

5- सदस्यों की संख्या :

6- कार्यप्रारंभ करने की तिथि :

7- कार्य समाप्ति की तिथि :

8- प्रस्तावित कुल कार्य :

क्र.सं.	किस्म कार्य	कार्य की मात्रा	स्वीकृत राशि
1-	कन्टूर वेजिटेटिव हैजेज		
2-	कन्टूर/ग्रेडेड बण्ड्स		
3-	अर्दन लूज़ बोल्डर्स		
4-	अर्दन बण्ड		
5-	फील्ड आउटलेट		
6-	गेबियन स्ट्रक्चर्स		
7-	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स		
8-	ड्रोप स्पिल वे		
9-	परकोलेशन टैंक/सिल्ट डिटेन्शन स्ट्रक्चर		
10-	चैक बण्ड		
11-			
12-			
13-			
14-			

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक एफ. 1(4)92 / कार्मिक /प्रमुवसं/2533 । दिनांक 22 अगस्त, 1997

कार्यालय आदेश

1. वर्तमान में राज्य में विभिन्न विदेशी सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं आदि के अंतर्गत वन विकास कार्य बड़े पैमाने पर करवाये जा रहे है। वन विकास के इस बहु आयामी विस्तार ने जहॉ एक ओर वृक्षारोपण को जन मानस का कार्यक्रम बना दिया है, वहीं दूसरी ओर कार्य संपादन में प्रभावी अंकुश की महत्ती आवश्यकता भी परिलिक्षित हुई है । इस स्थिति के निराकरण के उद्धेश्य से राज्य सरकार ने हाल ही में आदेश क्रमांक नि.स./7/विशेषा/वन/97 जयपुर, दिनांक 19.6.1997 द्वारा "वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता योजना, राजस्थान, जयपुर" का पदनाम "वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूॅल्याकन, राजस्थान, जयपुर" में परिवर्तित कर समवर्ती मूॅल्याकन एवं आंतरिक सतर्कता का कार्य उन्हें आवंटित करने का निर्णय लिया है । इन आदेशों के अनुक्रम में वन संरक्षक (तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूॅल्याकन) को तेन्दू पत्ते के कार्य के अतिरिक्त निम्न कार्य आवंटित किये जाते है:- Page 136

(i) समवर्ती मूॅल्याकन,
(ii) आंतरिक विभागीय सतर्कता,
(iii) गश्ती दलों की मोनिटरिंग,
(iv) अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन/दैनिक दैनन्दिनियों की समीक्षा का कार्य ।

2. उपरोक्त कार्यों के प्रभावी संपादन हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते है:-

(2.1) समवर्ती मूॅल्याकन:

वन संरक्षक (तेन्दू पत्ता एव समवर्ती मूॅल्याकन) वन विकास की विभिन्न गतिविधियो यथा नर्सरी, अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण संधारण, वन सुरक्षा, भू संरक्षण आदि का समवर्ती मूॅल्याकन करेगें ।

इस कार्य के क्रियान्वयन में उनकी सहायतार्थ वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं मूॅल्याकन, राजस्थान, जयपुर के अधीन वर्तमान में कार्यरत प्रबोधन एवं मूॅल्याकन इकाई के प्रभारी अधिकारी व समस्त स्टाफ को वाहन आदि संसाधनों सहित तत्काल प्रभाव से वन संरक्षक (तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूॅल्याकन) के अधीन स्थानान्तरित किया जाता है ।

यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न मुख्य वन संरक्षकों के अधीन कार्यरत मूॅल्याकन दल पूर्ववत अपना कार्य करते रहेगें ।

§2.2§ आंतरिक विभागीय सतर्कता:

विभाग की विभिन्न गतिविधियो के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली गंभीर प्रकृति की शिकायतों की जाँच का कार्य भी वन संरक्षक§तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूँल्याकन§ करेगें ।

इस कार्य की सहायतार्थ वन सुरक्षा-योजना के अंतर्गत स्वीकृत निम्न अधिकारी/कर्मचारी जो वर्तमान में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत, उदयपुर के अधीन कार्यरत है, को तत्काल प्रभाव से वन संरक्षक, पश्चिमी वृत, उदयपुर से प्रत्याहरित कर वन सरक्षक, तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूँल्याकन को आवंटित किये जाते है:-

§क§ क्षेत्रीय वन अधिकारी	एक
§ख§ वनपाल	एक
§ग§ वनरक्षक	छः
§घ§ वाहन चालक	एक
§च§ वायरलैस टैक्नीसीयन	एक

§2.3§ गश्ती दलों की मोनिटरिंग:

वन संरक्षक§तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूँल्याकन§विभाग में कार्यरत समस्त गश्ती दलों के कार्य-कलापो का प्रबोधन करेगें तथा इनको प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगें ।

§2.4§ अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन/दैनिक दैनन्दिनियों की समीक्षा व राजकीय यात्रा के अनुमोदन संबंधित कार्य ।

3. क्रम संख्या 2.3 एवं 2.4 के कार्यो हेतु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक में वर्तमान में जो कर्मचारी इन कार्यो को संपादित कर रहे है, वे इनसे संबंधित पत्रावलियाँ वन संरक्षक§तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूँल्याकन§ को प्रेषित करेगें ।

4. अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध होने तक वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता का कार्यालय स्टाफ एवं उप वन संरक्षक§तेन्दू पत्ता§ उन्हें उपरोक्तानुसार अतिरिक्त कार्य सम्पादन में सहयोग देगें ।

5. कार्य संपादन सुगमता से हो, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन संरक्षक, §तेन्दू पत्ता एवं समवर्ती मूँल्याकन§ की कार्य प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

i. तेन्दू पत्ता योजना एवं वन उपज संबंधी समस्त पत्रावलियाँ वे पूर्वानुसार मुख्य वन संरक्षक§विकास§ को प्रेषित करेगें । इसके अतिरिक्त समवर्ती मूँल्याकन के पत्रादि भी वे उन्हें ही प्रस्तुत करेगें ।

ii. आंतरिक विभागीय सतर्कता, गश्ती दलों की मोनिटरिंग आदि से संबंधित पत्रादि मुख्य वन संरक्षक§प्रशासन§ को प्रेषित किये जायेगें ।

iii. अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन/दैनिक दैनन्दिनियों व राजकीय यात्रा से संबंधित पत्रावलियाँ/पत्रादि सीधे अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेगें ।

प्रकार
वृक्षारोपण
सम्बंधित
नम्बर

प्रपत्र - I (वृक्षारोपण कार्ड)

मुखपृष्ठ

नाम वन मण्डल :	पंचायत समिति :
नाम रेन्ज :	क्षेत्रफल :
कार्यस्थल :	वर्ष :
विभाजित उपखण्डों की संख्या :	
ब्लॉक नम्बर :	
वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति ग्राम :	
लाभान्वित ग्राम :	
सदस्यों की संख्या :	

(6)

(38)

II मेड़बन्दी (रनिंग मीटर में)	साईज	मात्रा
क- पत्थर की दीवार		
ख- वाई फेन्सिंग		
ग- डोला फेन्सिंग		
घ- कांटेदार तार की बाड़		
ड.- पुरानी बाड़ की मरम्मत		
योग		

IV अन्य कार्य
क- केटल गार्ड हट निर्माण
ख- निडाई गुडाई
ग- थिनिंग प्रूनिंग आपरेशन
घ- प्राकृतिक पौधों के थावला बनवाई
ड. -निरीक्षण पथ निर्माण
च-
छ-
ज-
झ-

दिनांक	
आरंभ	सम्पन्न

V - वर्षवार व्यय

राशि (लाखों में)	0 वर्ष	वृक्षा. वर्ष	I	II	III	IV	V
स्वीकृत राशि							
वास्तविक व्यय							

(संधारण वर्ष: I–V)

III भू संरक्षण/वृक्षारोपण कार्य (प्लाट वार)

क्र.सं.	कार्य	इकाई	प्लाट वार मात्रा 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1-	ट्रेन्चेज																														
	क- कन्टोन्युअस	र.मी.																													
	ख- स्टेगर्ड	र.मी.																													
2-	कन्टूर डाईक्स	र.मी.																													
3-	वी-डिचेज	र.मी.																													
4-	फरोज	र.मी.																													
5-	चेकडेम																														
	क- पत्थर के																														
	संख्या	नग																													
	मात्रा	घ.मी.																													
	ख- मिटटी के																														
	संख्या	नग																													
	मात्रा	घ.मी.																													
6-	खड्डे	नग																													
7-	रोपित पौधों की संख्या	नग																													

50

VI परियोजना अवधि में कार्य से लाभ

वर्ष	सृजित मानव दिवस	घास		मूंज		बीज		....		कुल राशि
		मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	
योग										

VII स्केच मैप (प्लाट विवरण सहित)

प्रपत्र - II (दैनिक कार्य पंजिका)

नाम वन मण्डल :-
नाम रेन्ज :-

नाम कार्यस्थल :-
क्षेत्रफल :-
कार्य संपादन को पद्धति : ठेका/ पीसरेट / मस्ट्रोल

दिनांक	अनुक्रमवार किए गए कार्य का विवरण एवं मात्रा	नाम ठेकेदार/मेट	कार्य प्रभारी द्वारा शत प्रतिशत सत्यापन सम्बंधित टिप्पणी

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-3) विभाग
००००००००००

क्रमांक एफ 4(62)आयो/ग्रुप-3/90/पार्ट-II/ जयपुर दिनांक 5.9.97.

1. समस्त संभागीय आयुक्त ।

2. समस्त जिलाधीश ।

विषय:-विकास कार्यक्रमों का जिलों/संभागीय/आयोजना विभाग सचिवालय के अधिकारियों द्वारा मौके पर निरीक्षण ।

जैसा कि आपको विदित है राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 27,000 करोड़ रुपये योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है । चालू वर्ष की वार्षिक योजना का आकार 3500 करोड़ रुपये निर्धारित हुआ है । इसके अलावा राज्य में लगभग 120 करोड़ रुपये की विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं । इन योजना कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे कि राजकोष का दुरुपयोग न हो सके । प्रत्येक जिले में चल रहे, विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता बनाये रखने एवं इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किस सीमा तक सही हो रहा है तथा उससे लाभार्थियों 2/ क्षेत्र को सही लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के मुख्य आयोजना अधिकारी द्वारा अपने जिले में, संभागीय आयुक्त कार्यालय में नियुक्त उप निदेशक (सांख्यिकी) द्वारा अपने संभाग में तथा आयोजना विभाग के अधिकारियों को राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों का मौके पर निरीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है । अतः आप कृपया अपने जिले में स्थित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सहित सभी अधीनस्थ विभाग जो जिले में विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहे हैं, को निरीक्षण पर गये अधिकारियों को सम्पूर्ण सहयोग देने हेतु निर्दिष्ट करें एवं निर्देशों की एक प्रति निदेशक, आयोजना (मोनीटरिंग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित करें ।

मुख्य आयोजना अधिकारी जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर निगाह रखने का कार्य करेंगे । वे हर माह जिले में चल रहे विकास कार्यों का मौके पर सत्यापन कर अपनी टिप्पणी निदेशक (मोनीटरिंग), आयोजना विभाग को ~~प्रत्येक माह भेजेंगे~~ । संभागीय / आयोजना विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी यात्रा में यथासम्भव मुख्य आयोजना अधिकारी भी साथ रहेंगे । जिससे कि जिले में क्रियान्वित कार्यक्रमों की वास्तविक स्थिति से वह परिचित हों ।

कृ.पृ.उ... 2

निरीक्षणों की उक्त प्रक्रिया जिलों में निरन्तर जारी रहेगी। इस प्रयोजनार्थ संबंधित अधिकारियों को उनके रहने तथा वाहन आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करें।

Sd/
(एम.एल.मेहता)
मुख्य सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन प्रमुख सचिव / सचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (योजना से संबंधित) को भेजकर अनुरोध है कि वे अपने अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि जिले में उनके विभाग से संबंधित चल रहे विकास कार्यक्रमों के निरीक्षण में आयोजना विभाग के अधिकारियों को सहयोग प्रदान करें।
3. उप शासन सचिव, जिला आयोजना, सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य आयोजना अधिकारी ....

Sd/
सचिव, आयोजना

कार्यालय वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता योजना एवं समवर्ती मूल्यांकन, राज०,जयपुर।

क्रमांक एफ 6(4)97/वसं/तेपयो/समु/6390-6526 दि.26 9/97

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. समस्त वनाधिकारीगण।
2. निदेशक, आयोजना (मोनिटरिंग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

(signature)
वन संरक्षक,
तेन्दू पत्ता योजना,
जयपुर।

17

58

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, वन-भवन, जयपुर ।

क्रमांक एफ 7(5)आ·प्र·/वसं/स·मू·/97/ 644 दिनांक:- 10. 3. 98

परिपत्र

विषय:-वानिकी विकास कार्यों का प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन ।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ 7(5)आ·प्र·/वसं/परिस· मू·/94/ 4039-4150 दि· 19·11·96 द्वारा विभाग में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाये जा रहे वानिकी विकास कार्यों का प्रभावी एवं सही ढंग से मूल्यांकन करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे । परिपत्र द्वारा विकास कार्य क्रियान्वयन एवं ... विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के साथ-साथ मूल्यांकन के लिये विभिन्न विभिन्न स्तर पर मूल्यांकन करने के विस्तृत मापदण्ड भी निर्धारित किए गए हैं । तत्पश्चात् प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 6(1)(वसं/तेपयो/स·मू/97/6886-891 दि· 17·11·97 द्वारा वन विकास कार्यों के परियोजना स्तर एवं वृत स्तर पर मूल्यांकन प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसार करवाकर मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर भिजवाने के लिए निर्देश दिये गये थे ।

ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्तानुसार प्रसारित दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सही ढंग से सुनिश्चित नहीं की जा रही है । जिससे वन विकास कार्यों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन के लिए निर्धारित की गई पद्धति का प्रभावी क्रियान्वयन नजर नहीं आ रहा है । हाल ही में 1 - 2 वृत स्तर पर करवाये गये मूल्यांकन की की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो कि सही ढंग से तैयार नहीं की गई थी । इन मूल्यांकन रिपोर्ट के अवलोकन से वानिकी विकास कार्यों के संबंध में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं होती है एवं यह रिपोर्ट महज एक औपचारिकता प्रतीत होती है।।

अत: पुन: निर्देश प्रसारित किये जाते हैं कि वानिकी कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन हेतु उपरोक्तानुसार पूर्व में प्रसारित दिशा-निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए वानिकी विकास कार्यों का मूल्यांकन का कार्य करते समय विभिन्न तकनीकी एवं सामाजिक पहलुओं जैसे नर्सरी में प्रजातिवार पौध तैयारी, प्राकृतिक पेड़-पौधों एवं रिजनरेशन की स्थिति, लगाए गए प्रजातिवार पौधे, जीवित पौधों का प्रतिशत, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, बीज बुवाई, वन सुरक्षा समितियों के गठन एवं वृक्षारोपण सुरक्षा एवं प्रबन्ध में योगदान, वन उपज का वितरण, कार्य के कारण रोजगार की उपलब्धता आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए । इसकी रिपोर्ट इस कार्यालय में नियमित रूप से भिजवाई जाये । यह भी उचित होगा कि इन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर विकास कार्यों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही समय पर कर ली जाये ताकि ऐसे कार्यों में पाई जाने वाली अनियमितताएं एवं कमियों आदि की पुनरावृति भविष्य में नहीं हो और वानिकी विकास कार्यों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार लाया जा सके ।

(हस्ताक्षर)
मुख्य वन संरक्षक(विकास),
राजस्थान, जयपुर ।
10-3-98

क्रमांक समसंख्यांक/ 645-744 दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1· समस्त मुख्य वन संरक्षक,
2· समस्त वन संरक्षक
3· समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(हस्ताक्षर)
मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर ।

:: कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, वन भवन, जयपुर। ::

क्रमांकः एफ 6§1§त० मू०/97/ 1150 जयपुर दिनांकः 28/4/98

परिपत्र

समवर्ती मूल्यांकन के अंतर्गत राज्य में विभिन्न वन मण्डलों द्वारा करवाये गये वानिकी विकास कार्यों का शत-प्रतिशत मूल्यांकन मुखयालय की प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई द्वारा किया जा रहा है। फील्ड में मूल्यांकन के दौरान वृक्षारोपणों के विकास, संधारण एवं सुरक्षा के संबन्ध में विभिन्न पहलुओं पर गहन रूप से परीक्षण किया गया और उनका उल्लेख संबन्धित मूल्यांकन प्रतिवेदन में किया गया है। वृक्षारोपणों के विकास एवं संधारण के संबन्ध में पूर्व में भी कई बार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं। परन्तु समवर्ती मूल्यांकन के समय वृक्षारोपणों की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। मुख्यतः वृक्षारोपणों में समवर्ती मूल्यांकन के दौरान जो कमियां पाई जाती है, उनमें से कुछ इस प्रकार है :- जैसे वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे सही ढंग से नहीं किया जाना, फेंसिंग पूरी एवं प्रभावी नहीं होना, वृक्षारोपण से संबन्धित रेकार्ड का सही ढंग से संधारण नहीं किया जाना, वृक्षारोपणों के रेकार्ड के अनुसार मौके पर निशादेही नहीं होना, अग्रिम मृदा कार्यों में विभिन्न कार्य आईटमों का सही नाप व मात्रा में नहीं होना, कार्यस्थल के अनुसार मृदा कार्य एवं प्रजातियों का चयन नहीं करना, वृक्षारोपणों के मृदा एवं जल संरक्षण हेतु विभिन्न विधियाँ जैसे थांवला बनाने, ट्रेन्च, वी डिच, चेक डेम, कन्टूर डाईक्स आदि का सही ढंग से नहीं बनवाया जाना, निराई गुडाई समय पर नहीं करवाना, माप पुस्तिका एवं मौके पर करवाये गये कार्य आईटमों में भिन्नता, वृक्षारोपणों की सुरक्षा प्रभावी नहीं होना एवं मवेशियों की चराई होना, वृक्षारोपणों का समय-समय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण नहीं करना आदि।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए वृक्षारोपणों को सफल बनाने एवं कराये गये विभिन्न कार्य आईटमों की गुणवत्ता एंव मात्रा सही ढंग से करवाने हेतु निम्न प्रकार दिशा-निर्देश पुनः प्रसारित किये जाते है :-

§1§ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण स्थलों का चयन करने से पूर्व मौके की स्थिति को देखते हुए उचित प्रकार से मृदा कार्य कराया जावे व रोपित किये जाने हेतु उचित प्रजाति के पौधों का चयन किया जाये। व तदनुसार ही क्षेत्र का ट्रिटमेंट प्लान व ऐस्टीमेट बनाया जावे। यदि इस ट्रिटमेंट प्लान व कार्य मॉडल में कोई विशेष अंतर हो तो ऐस्टीमेट के तकनीकी नोट में इसका उल्लेख किया जावे व सक्षम अधिकारियों से इसकी स्वीकृति ली जावे।

....क्रमशः..2..

(2) प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का सर्वे सही ढंग से मौके की स्थिति अनुसार किया जाये और उसी नक्शे के अनुसार ट्रिटमेंट मैप, सोईल मैप आदि तैयार किया जाये ।

(3) ...रोपण करते समय 50 हैक्टेयर इकाई का क्षेत्र मौके पर सही ढंग से निशानदेही किया जाकर रखा जाये ताकि क्षेत्र में कराये गये कार्यों का सत्यापन संधारित रेकार्ड के अनुसार किया जा सके। यदि मौके की स्थिति को देखते हुए 100 हेक्टेयर क्षेत्र को एक साथ फैंसिंग के लिए लिया जाता है तो उसका 50-50 हैक्टेयर के भाग मौके पर या तो ट्रेन्च खोद कर उस पर बीजों की बुवाई कर या पत्थरगढ़ी कर या लाइन ट्रेंच आदि जैसा भी मौके की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त हो, किया जाये ।

(4) वृक्षारोपण की सफलता पौधों की प्रजाति के चयन पर बहुत कुछ निर्भर करती है। नर्सरियों में पौध तैयारी का कार्य समय पर एवं वृक्षारोपण स्थलों को देखते हुए सही प्रजातियों के बडे साईज के स्वस्थ पौधे उपयुक्त मात्रा में तैयार किये जाए। वृक्षारोपण में बड़े पौधे ही लगाये जाने चाहिये ताकि वृक्षारोपण निर्धारित समय में विकसित एवं सफल हो सके ।

(5) अग्रिम मृदा कार्य के अन्दर खड्डे खुदाई, वी डीच, कन्टूर ट्रेन्च, चैक डेम आदि का कार्य तकनीकी रूप से उच्च श्रेणी का करवाया जाये और उनकी मात्रा एवं नाप सही होनी चाहिये ।

(6) कार्यस्थलों पर करवाये गये विभिन्न आईटमों का माप पुस्तिका में दर्शाये गये विवरण से मेल होना चाहिये ताकि मौके की स्थिति रेकार्ड में सही ढंग से प्रदर्शित हो सके। वृक्षारोपण से संबन्धित रेकार्ड जैसे प्लांटेशन जर्नल, ट्रिटमेंट मैप, सूक्ष्म नियोजन, सोईल मैप आदि सही ढंग से संधारित किया जाये और उनमें वृक्षारोपणों में कराये गये कार्यों का सही उल्लेख किया जाये, जिससे कि मौके पर कराये गये कार्यों की वस्तुस्थिति मालूम हो सके । क्षेत्र में अत्यधिक / कम वर्षा, गर्मी, सर्दी, पाला आदि और इससे वृक्षारोपण पर हुए प्रभाव का विस्तृत उल्लेख होना चाहिये ।

(7) वृक्षारोपणों के विकास एवं सुरक्षा में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वन सुरक्षा समितियों के गठन एवं समय-समय पर की जाने वाली बैठकों के [illegible] सही ढंग से संधारित किया जाकर निरीक्षण के दौरान मौके पर उपलब्ध कराया जाये। इसी प्रकार क्षेत्र से निकास की गई लघु वन उपज का भी पूर्ण रेकार्ड रखा जावे । जन भागीदारी को वन विकास एवं सुरक्षा में सही अंजाम देने हेतु सदस्यों को इन कार्यों के साथ शुरू से लगातार जोड़ा जाये ताकि वास्तव में उनका इन कार्यों के साथ जुड़ाव हो सके ।

..क्रमशः..3..

§8§ वृक्षारोपणों की सफलता हेतु उनकी समुचित सुरक्षा होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः वृक्षारोपणों की सुरक्षा की व्यवस्था प्रभावी ढंग से की जाये ताकि लगाये गये पौधे 4 से 5 वर्ष की अवधि में इतने बड़े हो जाये कि उनको मवेशियों आदि द्वारा नुकसान नहीं किया जा सके।

§9§ वृक्षारोपणों में लगाये गये पौधों की समय-समय पर निराई-गुडाई करने से पौधे की बढ़ोतरी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए लगाये गये पौधों की निराई-गुडाई उचित समय पर की जानी चाहिये।

§10§ इसी तरह बीजों की बुवाई से जो पौधे अंकुरित होते है, उनमें भी गुडाई समय-समय पर किया जाना आवश्यक है ताकि इस तरह उगे पौधे भी अच्छी तरह पनप सकें।

§11§ वृक्षारोपण स्थल का अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जाये और वृक्षारोपण के विकास के संबन्ध में समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाये।

§12§ वृक्षारोपणों में प्राकृतिक रूप से पनपे पौधे एवं लगाये गये पौधों में आवश्यकतानुसार तकनीकी ढंग से प्रूनिंग, सिगलिंग§बीज बुवाई के पौधोंमें§ आदि किया जाये ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके और पौधे कम समय में विकसित हो सकें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 6§1§से. मू./97/ 1151-1251 दिनांकः 28-8-98

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

पृष्ठ पर अंकितानुसार

§1§ श्री - - - - - - - - - - - - - - - मुख्य वन संरक्षक, ...

§2§ श्री . . . . वन संरक्षक . . . .

§3§ श्री . . . . मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक . . . .

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

P.T.O.

MINUTES OF THE MEETING HELD IN THE CHAMBER OF FOREST SECRETARY ON 20.11.1998 REGARDING INTERNAL & EXTERNAL EVALUATION STUDIES .

A meeting was held in the chamber of Forest Secretary under her Chairmanship on 20.11.98 to discuss the evaluation studies by Internal & external organisations about forestry works in the state. Following officers participated in the meeting :-

1. Shri V.C. Sacheti, PCCF, Rajasthan,Jaipur.
2. Shri D.P. Govil, CCF (Development) .
3. Shri S. Prasad, O.S.D.,Forest.

The following decisions were taken:-

1. It was felt that the evaluation reports from the Evaluation Units under the Externally aided projects are not being received either by the PCCF or by the Government. Only evaluation reports from the Evaluation Cell under the PCCF are being received. It was decided that the Evaluation Units under the EAPs shall be directed to send a copy of the evaluation report to the PCCF and to the Government at the same time when they send these reports to the CCFs concerned.

2. It was felt that the parametres of evaluation for all the Evaluation Units were not uniform. It was decided that the PCCF shall clearly indicate the parametres of evaluation studies. Broadly the parametres should consist of ;
   (a) selection of evaluation areas as per the specified norms;
   (b) the fixed percentage of area required to be surveyed in detail ;
   (c) survival of plantation,timely completion of works and expenditure incurred on it should be the primary areas of detailed survey;
   (d) any other area indicated by the PCCF for detailed survey and
   (e) suggestions of the Evaluation Units.

3. Periodical meetings under the Chairmanship of the PCCF may be held to review the work of Evaluation & Monitoring Units under the CCFs.

Contd..2/-

4. A prompt follow up of the evaluation studies may be taken up by the PCCF. Wherever required, directions may be issued for bringing about corrective measures. Action should be taken by the PCCF promptly against the officials responsible for shortage of work and failure of plantations.

5. Evaluations have not been made by the external agencies in respect of the IGNP and Aravalli Afforestation projects. Immediate action may be taken so that evaluation studies are assigned to external agencies in respect of these two Externally Aided Projects. Evaluation studies have been assigned under Forestry Development Projects. It may be ensured that these studies are completed within the given time frame and copies of these studies are sent to the PCCF and to the Government.

6. It was also felt that it is not necessary to induct the staff of Evaluation Department for conducting evaluation studies as the Department itself has its committed Evaluation Units. However, whenever any requirement is felt of such parametres for which the Forest Evaluation units are not equipped, the staff from the Evaluation Department may be drawn on temporary basis.

Sd
(Sankatha Prasad)
O.S.D., Forest

Government of Rajasthan
Forest Department

No.F.15(1)Fores*/98 Pt-II Jaipur, Dated: 27 NOV 199

Copy to the following for information & necessary action:-

1. PS to Secretary, Forest.
2. PCCF, Raj., Jaipur.
3. CCF, Development, Raj., Jaipur.

O.S.D., Forest

दिनांक 31.8.99 को समवर्ती मूल्यांकन कार्य के सम्बन्ध मेंआयोजित मीटिंग का कार्यवाही विवरण

70

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महोदय के कक्ष में दिनांक 31.8.99 को 11 बजे वृक्षारोपण के मूल्यांकन कार्य एवं उन पर जारी प्रतिवेदनों पर वांछनीय परिवर्ती कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से विचार–विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :–

(1) श्री आर.सी. शर्मा, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, जयपुर।

(2) श्री डी.पी. गोविल, मुख्य वन संरक्षक, (विकास) राज. जयपुर।

(3) श्री ओ.पी. मेहता, वन संरक्षक, तेभ्दुपत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर।

(4) श्री एस.के. श्रीवास्तव, वन संरक्षक, परियाजना सूत्रीकरण एवं अनुसंधान, जयपुर।

(5) श्री एस.एन. सिंह, वन संरक्षक, (मुख्यालय) जयपुर।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय ने कहा कि वर्तमान में समवर्ती मूल्यांकन के प्रतिवेदनों पर तत्परता से प्रभावी अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिस कारण मूल्यांकन प्रतिवेदनों की सार्थकता एवं इसके प्रति विभाग की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। जिन मूल्यांकन प्रतिवेदनों पर संपादित कार्यों में गंभीर किस्म की कमियां एवं अनियमितताओं का उल्लेख किया जाता है, उस पर दोषी लोकसेवाकों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही शीघ्र ही होनी चाहिये ताकि अन्य स्थानों पर इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। इसके साथ ही समवर्ती मूल्यांकन का कार्य भी ओर अधिक पारदर्शक होना चाहिये ताकि इसके प्रतिवेदनों पर विभाग में विवाद उठने की संभावना समाप्त की जा सके।

वन संरक्षक, तेन्दुपत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन ने समवर्ती मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन किया और अवगत कराया कि सम्बन्धित वन मण्डल को मूल्यांकन प्रारम्भ किये जाने की सूचना पर्याप्त समय पूर्व ही भिजवा दी जाती है यद्यपि गोपनीयता की दृष्टि से मूल्यांकन स्थल के नाम मूल्यांकन दल के पहुँचने पर ही सम्बन्धित अधिकारियों को बताये जाते हैं। इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श में यह तथ्य उभर कर आया कि मौके पर स्थल विशेष का कार्य प्रभारी एक कर्मचारी होता है जबकि उसके मूल्यांकन हेतु 4–5 गणना दल गठित किये जाते हैं एवं प्रत्येक दल द्वारा गणना शीट पर ,मूल्यांकन कार्य से सहमतिके रूप मे , कार्य प्रभारी के हस्ताक्षर करवाये जाते है जो कि भैतिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में एक ही दल के साथ रह सकता है और उसके कार्य ही देख सकता है। अतःऐसी स्थितिमें भविष्य में उठने वाले किसी भी संभावित विवाद कोसमाप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जितने गणना दल हो, यथासंभव उतनी ही संख्या में उस वनमण्डल के कर्मचारी, उस वनमण्डल के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये जाने चाहिये ताकि प्रत्येक गणना दल के साथ वनमण्डल का एक कर्मचारी गणना के समय सदैव उपलब्ध रहे। अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध करवाने या नहीं करवाने की आवश्यकता का विकल्प संबन्धित उप वन संरक्षक के विवेक पर छोडा जाना

उपयुक्त होगा। इसके साथ ही यह भी महसूस किया गया कि गणना शीटों की फोटो प्रतियाँ भी गणना कार्य के तत्काल पश्चात् संबन्धित वन मण्डल को, उनके चाहे जाने पर, उपलब्ध करवा दी जाये ताकि मूल्यांकन कार्य में और अधिक पादर्शिता आ सके। प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय ने निर्देश दिया कि इस संबन्ध में एक विस्तृत परिपत्र जारी कर दिया जाये जिसमें मुल्यांकन कार्य संबन्धी अपनाई जा रही प्रक्रिया का तथा उक्त तथ्यों का भी समावेश हो ताकि विभाग में सभी को इसकी जानकारी पुनः हो जावे।

मूल्यांकन प्रतिवेदनों के जारी किये जाने उपरान्त परिवर्ती कार्यवाही संबन्धित नियन्त्रण अधिकारी द्वारा नहीं किये जाने एवं यहां तक कि इस संबन्ध में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं भिजवाये जाने से उत्पन्न अप्रिय स्थिति को समाप्त करने की दृष्टि से विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लियागया कि जहाँ प्रतिवेदन में अंकित कमियों एव अनियिमिताओं के फलस्वरूम उत्तरदायी लोकसेवकों के विरूद्व राजस्थान सेवा (सी.सी.ए.) नियमों की धारा 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत हो वहाँ अनुमोदन पश्चात ऐसे प्रकरण वन संरक्षक, तेन्दूपत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन द्वारा सीधे ही जांच शाखा को भिजवा दिये जायेगे और जांच शाखा इस संबन्ध में आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी। जहां अनियमितताऐं अत्यन्त गंभीर किस्म की हो और जिसके फलस्वरूप लोकसेवकों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उनके विरूद्व सी.सी.ए. नियमों की धारा 16 के अन्तर्गत अनुशानात्मक कार्यवाही किया जाना उपयुक्त प्रतीत हो तो ऐसे प्रकरणों में प्रारम्भिक जांच अधिकारी नियुक्त करने का कार्य वन संरक्षक, तेन्दूपत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन के माध्यम से कराया जायेगा जिससे प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्राप्त होने प्रतिवेदन मय आरोप पत्र प्रस्ताव,आरोप पत्र जारी करने हेतु एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें जांच शाखा को समवर्ती मूल्यांकन शाखा द्वारा स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। प्रारम्भिक जांच के दौरान प्रारम्भिक जांच अध्किारी से जो भी पत्राचार आवश्यक होगा वह समवर्ती मूल्यांकन शाखा द्वारा किया जायेगा।

विचार–बिमर्श के दौरान यह तथ्य भी उभर कर आया कि कई बार प्रारम्भिक जांच अधिकारी कार्यस्थल पर गणना कार्य दुबारा शुरू करवा देते है एवं दुबारा प्राप्त होने वाली रिपोर्ट से भिन्न होने की स्थिति में अनावश्यक विवाद उठने की पूर्ण संभावना रहेगी। चूँकि समवर्ती मूल्यांकन कार्य संबन्धित कार्यस्थल के प्रभारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी के सम्मुख ही करवाया जाता है, जिनके हस्ताक्षर भी गणना शीट पर सहमति के प्रतीक स्वरूप करवाये जाते है। अतः ऐसी स्थिति में पुनः गणना कार्य करवाया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होता हैं अतः संबन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दे दिये जाये कि वे समवर्ती मूल्यांकन कार्य के संपादन के उपरान्त किसी भी कार्य स्थल पर पुनः गणना कार्य नहीं करवाये।

वन संरक्षक, तेन्दूपत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन ने मूल्यांकन कार्य में आने वाली कठिनाईयों जैसे अच्छे वाहनों का पर्योप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होना, से अवगत कराया और इस हेत

(72)

72

(3)

मूल्यॉकन दलों को अच्छी चालू हालत में कम से कम दो जीप उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया ताकि मूल्यांकन कार्य ओर तत्परता से एवं अधिक संख्या में करवाये जा सकें । प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय ने इस संबंध में विचार कर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।

6 अन्त में मीटिंग सधन्यवाद समाप्त हुई ।

वन संरक्षक
तेन्दू पत्ता एवम समवर्ती मूल्यॉकन
राजस्थान,जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान,जयपुर

कमांक- 3414-19 दिनांक- 21/9/99

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, जयपुर ।
2- मुख्य वन संरक्षक(विकास) राजस्थान,जयपुर ।
3- वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता एवम समवर्ती मूल्यॉकन, राजस्थान, जयपुर ।
4- वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं अनुसंधान, जयपुर ।
5- वन संरक्षक(मुख्यालय), जयपुर ।
6- निजी सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।

वन संरक्षक
तेन्दू पत्ता एवम समवर्ती मूल्यॉकन
राजस्थान,जयपुर

:: कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांक : एफ ( ) प्रमुवस/स.मू./99/ 3505 दिनांक 29/7/99

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 316 दि. 26.9.94 द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे वृक्षारोपण कार्यों के शत–प्रतिशत मूल्यांकन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रचलित किये गये थे। तत्पश्चात् इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 4039 दिनांक 19.11.96 एवं 5331 दि. 22.8.97 तथा 1150 दि. 28.4.98 द्वारा इस सम्बन्ध में अग्रिम निर्देश जारी कर मूल्यांकन कार्य को ओर अधिक प्रभावी बनाने तथा अब तक किये मूल्यांकनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वृक्षारोपण कार्य में सुधार करे जाने बाबत् निर्देश प्रसारित किये गये। उक्त निर्देशों की अनुपालना में वर्तमान में इस कार्यालय के अधीन मुख्यालय पर कार्यरत राज्य स्तरीय आयोजना एवं प्रबोधन इकाई द्वारा वन संरक्षक, तेन्दूपत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन के निर्देशन में चयनित वनमंडलों के चयनित वृक्षारोपणों के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है।

समवर्ती मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रिया में सर्वप्रथम समवर्ती मूल्यांकन करे जाने हेतु वन मण्डल का चयन रेण्डम पद्धति से इस कार्यालय द्वारा किया जाकर उस वनमण्डल में चालू वृक्षारोपण वर्ष एवं उससे पूर्व के वृक्षारोपण वर्ष में उस वनमण्डल में किये गये समस्त वृक्षारोपण स्थलों की सूची प्राप्त की जाती है। उक्त दोनों वर्षों के एक–एक वृक्षारोपण का चयन रेण्डम प्रणाली से वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन स्तर पर किया जाता है। उक्त वृक्षारोपण स्थल में माप पुस्तिका के अनुसार कराये गये समस्त वृक्षारापेण सम्बन्धीकार्यों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन मौके पर किया जाता है। समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वनमंडल को इस आशय की सूचना मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करने के एक सप्ताह पूर्व ही दी जाती है, यद्यपि गोपनीयता हेतु चयनित वृक्षारोपण के नाम की सूचनाउन्हें मूल्यांकन दल के पहुँचने पर ही दी जाती है। वृक्षारोपण के चयन के उपरान्त इस कार्यालय के मूल्यांकन दल द्वारा सर्वप्रथम वृक्षारोपण स्थल का घूम–फिर कर निरीक्षण किया जाता है एवं इस दौरान वृक्षारोपण स्थल के बारे में लिये गये प्रेक्षणों के आधार पर एक पंचनामा बनाया जाता है। इसके पश्चात् गणना/मापन दलों का गठन किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन दल के सदस्यों के साथ–साथ स्थानीय कर्मचारियों एवं श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार गठित दलों द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये समस्त जीवित पौधों, मृत पौधों, खाली गड्डों एवं स्टेगर्ड कंटूर ट्रेन्चों की गणना की जाकर सफेद पाऊडर से चिन्हित किया जाकर गणना प्रपत्रों में इन्द्राज किया जाता है। वृक्षारोपण क्षेत्र में खुदवाई गई लगातार कंटूर ट्रेन्चों–वीडिचों, कंटूर डाइकों एवं चैकडेमों की माप ली जाकर गणनां प्रपत्र में दर्ज की जाकर अस्थाई नंबर अंकित किया जाता है तथा सफेद पाउडर से चिन्हित भी किया जाता है। वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे मूल्यांकन दल के सर्वेयर द्वारा स्थानीय कर्मचारियों द्वारा इंगित की गई सीमाओं/बाड के सहारे–सहारे ही चैन एवं कम्पास पद्धति द्वारा

(74) (22)

किया जाता है। सर्वे के साथ–साथ ही वृक्षारोपण के चारों और की गई प्रत्येक प्रकार की बाड़ की माप भी रनिंग मीटर में की जाती है तथा प्रत्येक 100 मी. के अन्तराल पर बाड की अनुप्रस्थ काट की माप भी ली जाती है। उपरोक्तानुसार मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् स्थानीय कर्मचारियों को साथलेकर समस्त वृक्षारोपण क्षेत्र का एक बार पुनः निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाता है, कि वृक्षारोपण क्षेत्र में कराया गया कोई भी मापन/गणना कार्य सफेद पाउडर से चिन्हित हुए बिना तो नहीं रह गया है, अर्थात् गणना/माप में सम्मिलित होने से छूट तो नहीं गया है। उपरोक्तानुसार पुनर्निरीक्षण के उपरान्त एकबार पुनः कार्य समाप्ति/पूर्ण होने का पंचनामा बनाया जाता है तथा इस पंचनामें में यह भी अंकित कर दिया जाता है कि, प्रत्येक कार्य के माप/गणना में कितने प्रपत्र प्रयोग में लिये गये हैं। इस पंचानामे एवं प्रत्येक गणना प्रपत्र पर उपलब्ध स्थानीय कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो। उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण का मूल्यांकन पूर्ण होने के पश्चात् मूल्यांकन दल के मुख्यालय पर वापिस आने के उपरानत ही संकलन कार्य किया जाकर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति वृक्षारोपण से सम्बन्धित वन मण्डल के उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी तथा उनके नियन्त्रण अधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक को भेजी जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वृक्षारोपण में पायी गई खामियों की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होने देने के लिए आवश्यक उपाय करे एवं वृक्षारोपण कार्य के संपादन में पायी गई गम्भीर कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

उपरोक्तानुसार अपनायी जा रही मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों एवं अनुभवों के आधार पर इस प्रक्रिया को ओर अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पूर्व में प्रसारित दिशा–निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश ओर प्रचलित किये जाते हैं :–

⟹ समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वन मण्डल एवं रेंज का नाम मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ करे जाने की प्रस्तावित तिथि से, पूर्व की भांति, एक सप्ताह पूर्व सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी को सूचित किया जाकर मूल्यांकन दल के आगमन की प्रस्तावित तिथियों से अवगत कराया जायेगा। गोपनीयता बरतने की दृष्टि से समवर्ती मूल्यांकन हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल का नाम मूल्यांकन दल के वनमंडल मुख्यालय पर पहुँचने के उपरान्त ही सम्बन्धित उप वन सरक्षंक/सहायक वन संरक्षक को अवगत कराया जायेगा। मूल्यांकन दल के मुख्यालय पर पहुँचने एवम् मूल्यांकन करे जाने वाले वृक्षारोपण का नाम अवगत करा दिये जाने के उपरान्त इस वृक्षारोपण में किसी भी प्रकार का विकास कार्य मूल्यांकन अवधि के दौरान नहीं करवाया जावेगा। यदि पूर्व से ही कोई कार्य जारी है तो उसे भी मूल्यांकन अवधि के लिये स्थगित कर दिया जावे। सम्बन्धित उप वन सरंक्षक से यह अपेक्षित है कि मूल्यांकन दल के वन मंडल मुख्यालय पर पहुँचने की प्रस्तावित तिथि के दिन वे यथासंभव स्वयं मुख्यालय पर उपस्थित रहे तथा मूल्यांकन दल को वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड उपलब्ध कराये। यदि अपरिहार्य कारणों से उप वन संरक्षक स्वयं उपस्थित नहीं रह सके तो अपने सहायक वन संरक्षक को इस कार्य हेतु अवश्य ही पाबन्द करें।

उपरोक्तानुसार समवर्ती मूल्यांकन की सूचना दिये जाने वाले पत्र में ही यह भी अंकित कर दिया जावेगाकि वृक्षारोपण के मूल्यांकन हेतु कितने गणनादलों का गठन किया जावेगा। सम्बन्धित उप वन सरंक्षक, वृक्षारोपण से सम्बन्धित क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारियों को, मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकन दल के साथ रहने हेतु पाबन्द करेंगे। यदि उप वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी उचित समझें तो मूल्यांकन दल हेतु गठित प्रत्येक गणना/मापन दल के साथ कार्य प्रभारी के अतिरिक्त आवश्यक संख्या में अतिरिक्त कर्मचारियों (जो उनकी वनमंडल/रेंज में कार्यरत हों) की ड्यूटी भी अल्प समय के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से लगा दी जावे कि प्रत्येक गणना दल के साथ वनमण्डल का एक कर्मचारी गणना के समय लगातार साथ–साथ रहे, गणना कार्य से पूर्णतः सन्तुष्ट एवं सहमत होकर प्रतिदिन गणना शीट पर सहमति के प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करे। इस आधार पर ही वृक्षारोपण से सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर तक के कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी प्रत्येक गणना प्रपत्र पर करवाये जावेगें। यदि अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराये गये, तो कार्य प्रभारी ही गणना कार्य से संतुष्ट एवं सहमत होकर समस्त गणना शीटों पर अपने हस्ताक्षर करें।

सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी का भी यह दायित्व होगा कि वह स्वयं कम से कम एक बार मूल्यांकन कार्य कराये जा रहे वृक्षारोपण का मूल्यांकन के दौरान ही निरीक्षण कर ले एवं एक बार अपने सहायक वन संरक्षक से निरीक्षण करा लेवें ताकि यदि मूल्यांकन कार्य में कोई खामी पायी जावे तो उसका तत्काल ही सुधार करवा लिया जावे। इस सम्बन्ध में स्थानीय स्टाफ एवं मूल्यांकन दल के सदस्यों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद होने की स्थिति में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के साथ वार्ता कर निराकरण किया जावे अथवा वन संरक्षक, तेन्दुपत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन, को सूचित किया जावे। मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा पुनर्मूल्यांकन नहीं कराया जायेगा।

पूर्व में प्रचलित दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में ही पुनः व्यार्दिष्ट किया जाता है कि इस विभाग द्वारा समय–समय पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित रेकार्ड के संधारण के क्रम में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वृक्षारोपण से सम्बन्धित निम्न रिकार्ड में से जितना भी संघारित किया गया हो, वह मूल्यांकन दल को उपलब्ध कराया जावे।

(1) सर्वे मेप, सोईल मेप, ट्रीटमेन्ट मैप।

(2) तकनीकी टिप्पणी अथवा ट्रीटमेंट प्लान।

(3) प्राक्कलन

(4) प्लांटेशन अनरल/प्लांटेशन कार्ड।

(5) माइक्रो प्लान

(6) माप पुस्तिका

(7) वृक्षारोपण से प्राप्त लघु वन उपज के वितरण सम्बन्धित अभिलेख।

मूल्यांकन दल संपादित भौतिक कार्य के शत––प्रतिशत मूल्यांकन के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का भी वस्तुनिष्ठ आंकलन (Objective Assessment) करेगा :–

(क) वृक्षारोपण कार्य के सम्पादन एवं सुरक्षा मं जन सहभागिता। इस सम्बन्ध में यह देखा जायेगा कि ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति गठित की गई है, अथवा नहीं तथा इससे सम्बन्धित अभिलेखों जैसे समिति की समय–समय पर बुलाई गई बैठकों का विवरण, समिति का बैंक खाता, समिति द्वारा संपादित विकास कार्य, यदि कोई हो, के अभिलेख तथा समिति के माध्यम से वितरित की गई लघु वन उपज का अभिलेख आदि का अवलोकन किया जायेगा। साथ ही यह भी आकलन किया जायेगा कि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय–समय पर प्रचलित दिशा–निर्देशों की कहाँ तक पालना की गई है।

(ख) वृक्षारोपण के अंदर अथवा आस–पास वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति तथा वृक्षारोपण की बाहरी सीमा वन क्षेत्र की सीमा के साथ–साथ यशासंभव बनाया जाने के निर्णय की पालना की स्थिति।

(ग) वृक्षोपण का नाम पट्ट (साईन बोर्ड) इस कार्यालय द्वारा प्रचलित दिशा–निर्देशों के अनुसार होना।

(घ) वृक्षारोपण क्षेत्र की स्थिति मय नजरी नक्शा।

(च) मृदा एवं धरातल की संरचना।

(छ) प्राकृतिक वनस्पति।

(ज) वृक्षारोपण क्षेत्र में पूर्व में यदि कोई कार्य हुआ हो तो उसकी स्थिति का विवरण।

(झ) वृक्षारोपण क्षेत्र में नये संपादित किये गये दृष्टिगोचर होने वाले कार्य।

(ट) पौधों के चारों ओर थांवले बनाये जाने एवं उसके डोले पर बीजारोपण की स्थिति।

(ठ) पौधों के चारों और यदि निराई–गुड़ाई/प्रूनिंग करे जाने के चिन्ह प्रकट होते हों तो उसका विवरण।

(ड) कंटूर, ट्रेंचों, वीडिचों के डोले पर एवं डाईक तथा बाड के सहारे बीजारोपण एवम् उससे उगे पौधों की स्थिति का विवरण।

(ढ) वृक्षारोपण क्षेत्र में नोचेज बनाकर किया गया बीजारोपण अथवा कंटूर फरोज बनाकर [illegible] का बीजारोपण की स्थिति।

(ण) कट बैक ऑपरेशन अथवा प्राकृतिक पौधों के थांवले बनाया जाना [illegible] [illegible], आइपोमिया या रतनजोत कटिंग कार्यों की स्थिति।

वृक्षारोपण कार्यों के गुणात्मक आंकलन हेतु निम्न तथ्यों का प्रेक्षण [illegible] [illegible] किया जायेगा :–

77 25

(1) बाड की प्रभाविता।

(2) प्रजातियों का चयन एवं उनकी बढ़त।

(3) वृक्षारोपण क्षेत्र में कार्य की एक रूपता एवं अन्तराल।

(4) कार्यस्थल का चयन।

(5) कंटूर ट्रेचों, वीडियों कंटूर डाईक इत्यादि का ले आऊट एवं परस्पर अंतराल।

(6) चैकडेमों की बनावट एवं परस्पर अंतराल तथा तकनीकि उपचार पूर्ण हैं अथवा नहीं।

(7) वृक्षारोपण क्षैत्र में यदि कोई नुकसान हो तो उसके सम्भावित कारण एवं उन्हें दूर करने के समयानुकूल उपाय।

(8) क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप से उगी घास एव वनस्पति के विकास की स्थिति।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 4039 दिनांक 19.11. 96 द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्र के उपखण्डों में विभाजित करने के आदेशों के साथ–साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार बनाये गये उपखण्डों के नम्बर अंकित किये जावे तथा प्रत्येक उपखण्ड में करवाये गये कार्य की मात्रा का विवरण प्लांटेशन कार्ड में दर्ज किया जावे। अतः मूल्यांकन कर्य के अन्तर्गत किया जाने वाला गणना का कार्य जैसे जीवित/मृत पौधों की गणना, समान साईज की स्टैगार्ड कंटूर ट्रेचों की गणना आदि कार्य भी उप-खडवार किया जावेगा। पौध गणना में थांवले युक्त रोपित जीवित पौधों की प्रजातिवार गणना की जावेगी तथा थांवले युक्त खाली खड्डों को मृत पौधा मानकर गणना की जावेगी। थांवले रहित खाली खड्डों के सम्बन्ध में यह माना जावेगा कि वे पौधारोपण से छूट गये हैं, तथा खाली खड्डे के रूप में गणना की जावेगी। बीजारोपण से उगे पौधों अथवा प्राकृतिक पौधों के चारों ओर बनाये गये थांवलों की गणना नहीं की जावेगी। क्षेत्र में कराये गये अन्य मापन योग्य कार्य जैसे कंटूर ट्रेंच (लगातार), कंटूर डाइक, चैकडेम, बाड इत्यादि की माप पूर्ववत समस्त वृक्षारोपण क्षेत्र को इकाई मानकर की जावेगी। किन्तु प्रत्येक कार्य पर अस्थाई नंबर अंकित किया जावेगा। कंटूर ट्रेंचों/वीडियों की लम्बाई की ही माप रनिंग मीटर में की जावेगी। अनुप्रस्थ काट की माप नहीं ली जावेगी। कंटूर डाइक की लम्बाई की माप के साथ–साथ प्रारम्भ एवं अंत के साथ–साथ प्रत्येक 25 मीटर के अन्तराल पर अनुप्रस्थ काट की माप भी ली जावेगी। चैक डेम की लम्बाई (नाले की चौड़ाई) की माप दो स्थानों पर (टाप एवम् बाठम) ऊंचाई (नाले की गहराई) की माप तीन स्थानों (दोनों किनारों एवम् मध्य में) तथा मोटाई की माप भी तीन स्थानों (दोनों किनारों एवम् मध्य) में ली जावेगी। प्रत्येक प्रकार के बाड़ों की लम्बाई की माप रनिंग मीटर में ली जावेगी तथा प्रत्येक 100 मीटर के अन्तराल पर अनुप्रस्थ काट की माप ली जावेगी। यदि वृक्षारोपण क्षेत्र को उपखण्ड में विभाजित नहीं किया गया हो तो मूल्यांकन दल के सदस्य सुविधानुसार अपने स्तर पर चूने पाऊडर से उपखण्डों में विभाजित करेंगे। यदि वृक्षारोपण क्षेत्र को कार्य संपादन के समय उपखण्ड में विभाजित किया गया हो, किन्तु मूल्यांकन के समय तक उपखण्डों की

28

26

सीमाएं मिट गई हो अथवा अस्पष्ट हो गई हो तो मूल्यांकन दल द्वारा उक्त सीमाओं को पुनः सफेद चूना पाऊडर से चिन्हित करवाया जाकर गणना कार्य उपखण्ड वार कराया जावेगा। मूल्यांकन कार्य प्रगतिरत रहने अथवा समाप्त होने के पश्चात् मूल्यांकन दल के प्रभारी द्वारा कम से कम रेंडमली चयनित एक उपखण्ड की पुनः गणना करवाई जावेगी तथा मापन योग्य कार्यो का भी स्वयं द्वारा पुर्नमाप यथा योग्य उचित संख्या में की जावेगी। वृक्षारोपण से सम्बन्धित क्षैत्रीय अथवा सहायक वन संरक्षक/उप वन संरक्षक भी मूल्यांकन के दौरान उपरोक्तानुसार किसी भी उपखण्ड में पुनः गणना|माप कार्य मूल्यांकन दल की उपस्थिति में कर सकते हैं। उपरोक्तानुसार किये गये पुनर्गणना/पुनर्माप कार्य पर मूल्यांकन के गणनकर्ता एवं प्रभारी क्षेत्रीय के हस्ताक्षर बतौर सहमति करवाये जावे।

मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाने एवं कार्य समाप्ती का पंचनामा बन जाने के उपरान्त सम्बन्धित क्षैत्रीय वन अधिकारी के चाहे जाने पर वृक्षारोपण के मूल्यांकन में प्रयुक्त समस्त गणना/माप प्रपत्रों की फोटो प्रति मूल्यांकन दल के प्रभारी द्वारा वनमंडल से सम्बन्धित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक को उपलब्ध करायी जावेगी।

मूल्यांकन दल के मुख्यालय पर लौटने के उपरान्त आंकड़ों का संकलन किया जाकर मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाया जावेगा जिसमें वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त तथ्यों का उपरोक्तानुसार रूप से समावेश होगा। पूर्णरूप से संकलित मूल्यांकन प्रतिवेदन उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन द्वारा वन संरक्षक, तेन्दुपत्ता एवं समवर्ती मूल्यांकन/मुख्य वन संरक्षक (विकास) के माध्यम से निम्न हस्तक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाकर प्रति सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी एवं उनके नियन्त्रण अधिकारियों-वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित की जायेगी जिनका यह दायित्व होगा कि मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शायी गई खामियों को दूर करने के प्रयास करें तथा गंभीर त्रुटियों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकरी को चिन्हित कर उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करे। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप कोई प्रारम्भिक जांच संपादित की जाती है तो भी मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त पुनः गणना कार्य कदापि नहीं किया जावे वरन् समवर्ती मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाये गणना कार्य के आधार पर आवश्यक कार्यवाही कर प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन एवं अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कराये जाये।

मूल्यांकन प्रतिवेदन के गत दो वर्षों का यह अनुभव रहा है कि मूल्यांकन कार्य में कमी पाये जाने वाले प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही जैसे दोषी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना इत्यादि, अपेक्षित तत्परता से नहीं की जाती है। जिस कारण इस महत्वपूर्ण कार्य की उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता हे एवं विभाग की संवदेनशीलता एवं साख पर भी आंच आ सकती हैं अतः इस सम्बन्ध में यह निर्णय भी लिया गया है कि समवर्ती मूल्यांकन के गम्भीर प्रकरणों एवं अनयिमितता बरतने वाले प्रकरण में प्रारम्भिक

जांच अधिकारी इस कार्यालय स्तर से ही नियुक्त कर दिया जावेगा जो अधिकतम तीन सप्ताह में प्रारम्भिक जांच संपादित कर दोषी लोक सेवकों का उत्तरदायित्व निर्धारण कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें। इसमें शिथिलता बरतने को गंभीर दृष्टि से देखा जावेगा।

प्रगतिरत कार्यों का समवर्ती मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन विभाग में वृहदस्तर पर कराये जा रहे विकास कार्यों की निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक है। अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पूर्णतया पालना सभी सम्बन्धितों के द्वारा सुनिश्चित की जावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : सम्संख्यक / 3506–3655 दिनांक : 29/9/99

प्रतिलिपि समस्त वन अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर।

(30) 140

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ6§ §स.मू/2001/वसं/तेपयो/1661 दिनांक: 2.7.2001

(91)

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या एफ § §प्रमुवसं/स.मू/99/3505 दिनांक 29.9.99 द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन/ भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के तहत कार्यस्थल पर सम्पादित 1507 समस्त कार्यों, जैसे विभिन्न प्रकार की बाड़, खड्डे खुदाई, पौधारोपण, कन्टूर 19-7-01 ट्रेन्च, वी-डिच, कन्टूर डाईक्स, पत्थर एवं मिट्टी के चैकडेम एवं मिट्टी की अन्य संरचनाओं §डोला व पेरिफेरल बन्ड्स आदि§ का भी शत-प्रतिशत मापन/ भौतिक सत्यापन किया जाता है। अधिनस्थ वन अधिकारियों द्वारा बार-बार यह मुददा उठाया जाता है कि कार्यस्थलों पर बनाई गयी मृदा की संरचनाओं, जैसे मृदा के चैकडेम, डोला, एवं पेरिफेरल बन्ड्स§ मेड-बन्दी§ के आयतन में, इनके निर्माण के कुछ समय पर्यन्त §विशेषकर एक वर्षा ऋतु के बाद§, वर्षा/ हवा/ आंधी आदि प्राकृतिक कारणों से, कमी होना स्वाभाविक है।

इस कार्यालय अधीन प्रबोधन एवं आयोजना इकाई सहित किसी भी मूल्यांकन दल द्वारा मृदा संरचनाओं का मापन, सामान्यतः मृदा संरचनाओं के निर्माण के कम से कम एक वर्षा ऋतु पर्यन्त ही किया जाना संभव हो पाता है। कभी-कभी एक-दो वर्ष पश्चात भी मृदा संरचनाओं का मापन किया जाता है। उक्त अन्तराल के पश्चात मृदा संरचनाओं के मापन किए जाने पर आलोच्य प्राकृतिक कारणों से इनके आयतन में, कमी पायी जाना स्वाभाविक है और इस प्रकृतिजन्य कमी के प्रति किसी भी लोक सेवक को उत्तरदायी ठहराना न्याय संगत नहीं है।

चूंकि उक्त संरचनायें, मिट्टी के कच्चे काम होते हैं और इनमें वर्षा के पश्चात मिट्टी का भराव/कटान हो जाने से इनके आयतन में कमी आना स्वाभाविक है, अतः विचारोपरान्त, इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 29.9.99 के क्रम में एतद द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त मृदा की संरचनाओं का भौतिक सत्यापन, कार्य संपादन के तुरन्त बाद, विशेषतः वर्षा से पहले ही, संबंधित वन संरक्षक, अपने तकनिकी सहायक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इन मृदा संरचना संबंधी कार्यों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया 2

समवर्ती मुल्यांकन दल द्वारा क्षेत्र में मृदा के चैकडेम, डोला, व पेरिफेरल बन्डस ﴾ मेड बन्दी﴿ का मापन न कर, वृत स्तरीय सत्यापन के सारांश, अपने प्रतिवेदन में समाविष्ट कर, इनकी वर्तमान स्थिति, उपयोगिता एवं प्रभाविता के संबंध में टिप्पणी दी जावेगी। समवर्ती मुल्यांकन दल द्वारा उक्त मृदा संरचनाओं के अतिरिक्त, क्षेत्र में हुए अन्य समस्त कार्यों का पूर्ववत शत-प्रतिशत गणना/मापन सत्यापन किया जाता रहेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ6﴾ ﴾स.मू/2001/वसं/तेपयो/ 1665-1781 दिनांक: 2.7.2001

प्रतिलिपि इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 3505 दिनांक 29.9.99 के क्रम में समस्त वनाधिकारियों को पालनार्थ प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.7(24)02–03 / विभा.वृक्षा.का. / प्रमुवसं / 1040 दिनांक : 31-3-04

परिपत्र

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ. ( )2002 / ते.प. / स.मू. / 2290 दिनांक 18.11.2002 द्वारा गठित समिति की अभिशंषा अनुसार, विभिन्न वानिकी विकास कार्यों के मूल्यांकन की अवधि एवं मूल्यांकन के परिणाम के, स्थानीय प्राकृतिक, जैविक, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय प्रभावी कारकों के परिवेश में विश्लेषणोंपरान्त विकास कार्यों की गुणवत्ता के निर्धारण के संबंध में, अब से पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या 348–79 दिनांक 8.2.80, पत्रांक एफ.22(2)86 / विकास / मुवसं / 6848--6966 दिनांक 25.4.86 एवं पत्र कमांक एफ.7(3)आ.प्र. / व.सं. / परि.मू.सू. / 90–91 / 2688–749 दिनांक 26.11.90 द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों को अधिलंघित करते हुए, एतद् द्वारा निम्नांकित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. पौधारोपण के पश्चातवर्ती तीन वर्षों (अर्थात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष) में जीवितता प्रतिशत विस्तृत गणना द्वारा ज्ञात की जावेगी।
2. प्रत्येक कार्य प्रभारी (वन रक्षक / सहायक वनपाल) एवं वनपाल द्वारा सम्मिलित रूप से, वृक्षारोपण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष के माह अप्रेल में पौधों की उप खण्डवार शत–प्रतिशत गणना कर, जीवितता प्रतिशत का आंकलन किया जावेगा। वृक्षारोपणवार गणना पूर्ण होते ही गणना प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को समय–समय पर प्रस्तुत करते रहेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक को प्रस्तुत की जावेगी। कार्य प्रभारी अपने अधीन समस्त संबंधित वृक्षारोपण क्षेत्रों की गणना अप्रेल में ही पूर्ण करेंगे।
3. कार्य प्रभारी एवं वनपाल से गणना प्रतिवेदन प्राप्ति के साथ ही (प्रत्येक गणना वर्ष के माह अप्रेल–मई में) संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्षों की, प्रत्येक कार्य स्थल की गणना के क्रमशः 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र में जांच करेंगे। गणना करने हेतु वृक्षारोपण क्षेत्र को उप खण्डों में विभाजित कर रैण्डम पद्धति से 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर उप खण्डों का चयन करेंगे। उप खण्डों का चयन करते समय क्षेत्र के ढलान व उपजाउ क्षमता आदि का ध्यान रखते हुए सभी प्रकार के क्षेत्रों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उप खण्डों का चुनाव पौधारोपण के घनत्व के अनुरूप करेंगे। यानि, जिस भाग में अधिक पौधे रोपित किये गये हों उनमें अधिक उप खण्ड चयनित किये जावें एवं जिन भागों में कम पौधे रोपित किये हों उन क्षेत्रों में लगभग उसी अनुपात में कम उप खण्ड चयनित किये जावें। कार्य स्थलों की जांच के एक सप्ताह में गणना रिपोर्ट कमवार समय समय पर वन मण्डल कार्यालय में इस प्रकार प्रस्तुत की जाती रहेगी कि, क्षेत्रीय स्तरीय समस्त प्रतिवेदन माह मई के अन्त तक मण्डल कार्यालय को प्रेषित कर दी जावे।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने प्रतिवेदन में, जीवितता प्रतिशत को प्रभावित करने वाले मुख्य स्थानीय कारकों (LOCALITY FACTORS) प्राकृतिक, जैविक आदि कारणों (यदि कोई हों) और वनस्पति संवर्धन, ... क्वालटी–रिप्लेशमेन्ट / बीजारोपण / प्रुनिंग आदि सुधार

कार्यों, यदि आवश्यक हों तो, उनका उल्लेख करेंगे। इस प्रकार के आवश्यक कार्यों का सम्पादन वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को प्रेरित कर उनके सहयोग से, कार्य प्रभारित कर्मियों के माध्यम से एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर, करवाने संबंधी आवयक कार्यवाही करेंगे।

5. वन मण्डल कार्यालय में आलौच्य गणना का संलग्न प्रपत्राधीन (रजिस्टर/कम्प्यूटर में) वृक्षारोपणवार अभिलेख रखा जावेगा।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रत्येक विकास/वृक्षारोपण कार्य के लिए प्लान्टेशन जरनल संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। प्लान्टेशन जरनल में भी क्षेत्रीय द्वारा उक्त गणना आधारित जीवितता प्रतिशत का लेखा जोखा एवं संबंधित विकास/वृक्षारोपण स्थल पर सम्पादित कार्यों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक (जैसे अनावृष्टि/अतिवृष्टि पाला, चकवात, ओलावृष्टि) एवं जैविक (जैसे चूहे, खरगोश, दीमक, सेही, रोजडा एवं बन्दर आदि के प्रकोप) आदि कारणों की अपरिहार्य क्षति से संबंधित सम्पुष्ट प्रमुख कारकों का आधार युक्त विस्तृत उल्लेख भी किया जावेगा।
7. रोपण उपरान्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष की गणना से यदि, रोपित पौधों की जीवितता जब कभी भी 40 प्रतिशत से कम हो तो, सहायक वन संरक्षक/उप वन संरक्षक द्वारा यथाशीघ्र निरीक्षण कर तथ्यान्वेषणोंपरान्त, उच्चाधिकारियों को अगले 30 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि, अपेक्षित से ज्यादा पौधे मर जाने का कारण मानवीय गलती रहा होना प्रकट हो तो संबंधित लोक सेवकों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी उप वन संरक्षक की होगी। परन्तु जिम्मेदारी अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे वृक्षोरापण क्षेत्र की शत प्रतिशत गणना कर लेना उचित होगा।
8. रोपण के पश्चातवर्ती चौथे वर्ष एवं उसके उपरान्त क्षेत्र में विकास हेतु किये गये कार्यों की गुणवत्ता का निर्धारण, क्षेत्र मे प्रभावी रहे प्राकृतिक, जैविक आदि कारकों के मद्देनजर, क्षेत्र में सम्पादित प्रत्येक गतिविधि, यथा – वाउ बन्दी, वृक्षारोपण, बीजारोपण, विकृत प्राकृतिक वनस्पति में की गई वन वर्धन कियाऐं (जैसे कटबैक, सिंगलिंग, प्रूनिंग आदि) तथा भू एवं जल संरक्षण आदि के एकीकृत प्रभाव के फलस्वरूप, क्षेत्र में हुए वनस्पतिक विकास के आधार पर किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

संलग्न : प्रपत्र

31.3.04

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.7(24)02-03/विभा.वृक्षा.का./प्रमुवसं//0402-522 दिनांक : 31-3-04

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

31.3.04

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र

गणना परिणाम व कार्यवाही विवरण

नाम रेंज ..... नाम वृक्षारोपण ..... वृक्षारोपण वर्ष ..... क्षेत्रफल ..... योजना ..... रोपित पौधों की संख्या .....

गणना कार्य का वर्ष	गणना की अवधि	कार्य प्रभारी या वनपाल द्वारा पाया गया जीवितता प्रतिशत	क्षेत्रीय द्वारा पाया गया जीवितता प्रतिशत	जीवितता को प्रभावित करने वाले कारक/क्षति का विवरण जिनकी सम्पुष्टि अभिलेख आधारित हो	सुधार हेतु की गई कार्यवाही
प्रथम वर्ष संधारण					
द्वितीय वर्ष संधारण					
तृतीय वर्ष संधारण					

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ.18( )2000 / जॉच / प्रमुवसं / 2620 दिनांक :— 12/7/04.

परिपत्र

प्रायः यह पाया जाता है कि वन मंडलों के अधीन क्षेत्रों में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों का एक वर्ष या अधिक अवधि पश्चात किये गये मूल्यांकन / शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन के आधार पर वृक्षारोपण एवं इससे संबंधित गतिविधियों के कार्यों में कमी पायी जाने पर वनाधिकारियों द्वारा इसकी प्रारंभिक जॉच करते समय इस कार्यालय द्वारा मूल्यांकन के संबंध में समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है। वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रभावी रहे प्राकृतिक एवं जैविक आदि कारको को ध्यान में नहीं रखते हुये मूल्यांकन रिपोर्ट में गणना परिणाम के फलस्वरूप पाये गये कम कार्य के संबंध में संबंधित लोकसेवकों के विरुद्ध कम कार्य कराये जाने के बारे में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाती है जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। पौधारोपण के एक वर्ष या अधिक अवधि पश्चात प्राकृतिक एवं जैविक कारणों से मृदा कार्यों का सही आंकलन किया जाना संभव नहीं होता है और इस अपरिहार्य कमी से संबंधित सभी प्रमुख कारकों का आधार युक्त विवेचन किये जाने के उपरांत ही किसी भी लोकसेवक को कम कार्य कराने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः समस्त वनाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में वृक्षारोपण कार्यों में कमी (उन कार्यों को छोड़कर जिसका सत्यापन कालांतर में भी सुनिश्चितता के साथ किया जा सकता है) के बारे में तभी अनुशासनिक कार्यवाही की जावे जबकि उस वृक्षारोपण का मूल्यांकन वृक्षारोपण के तुरंत बाद एक वर्ष के भीतर किये जाने पर कार्य में कमी पायी गयी हो अथवा बाद में कराये गये मूल्यांकन के तथ्यों से निःसंदेह यह साबित हो कि कार्य कम कराया गया था। एक वर्ष बाद कराये गये मूल्यांकन में कम जीवित प्रतिशतता आने पर यदि निर्विवाद रूप से यह तथ्य सामने नहीं आता है कि कार्य कम कराया गया था तो कम जीवित प्रतिशतता के लिये कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में ही अनुशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिये न कि कम कार्य के लिये।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक :— 12/7/04

क्रमांक :— एफ.18( )2000 / जॉच / प्रमुवसं / 2621-769

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. ( )05/विकास/प्रमुवसं/ 139 दिनांक : 7-4-05

परिपत्र

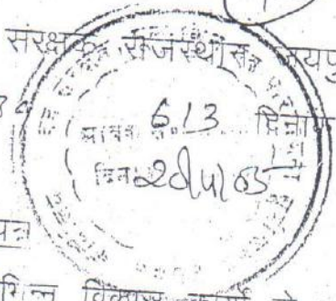

विभाग में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता को देखते हुए तथा कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा एक परिपत्र दिनांक : 19.11.1996 को जारी किया गया था। विगत वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए तथा सभी संवर्ग के कर्मचारियों को उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु पूर्व में जारी उक्त परिपत्र के पैरा संख्या 7 व 8 को विलोपित कर अब निम्न प्रकार पुनर्स्थापित किया जाता है :–

<u>अनुच्छेद संख्या 7</u> :– कार्य स्थल का प्रभारी वनरक्षक उक्त कार्य स्थल पर संपादित किये जाने वाले कार्यों के लिए प्राथमिक रूप से पूर्णतः उत्तरदायी होगा। वह कार्य की शत प्रतिशत नपती कर के माप पुस्तिका में इन्द्राज करेगा। कार्यस्थल प्रभारी का नियंत्रक वनपाल माप पुस्तिका में दर्ज कार्य के 60 प्रतिशत भाग का भौतिक सत्यापन करके यह सत्यापन जिन उप खण्डों में की गई उनके क्रमांक वार पर पाई गई वास्तविक कार्य की मात्रा का इन्द्राज माप पुस्तिका में अपने हस्ताक्षरों से करेगा। तत्पश्चात कार्य के शेष 40 प्रतिशत भाग की उप खण्डवार भौतिक सत्यापन प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा की जाकर उप खण्ड क्रमांक वार सत्यापित वास्तविक मात्रा का इन्द्राज स्वयं के हस्ताक्षर से माप पुस्तिका में की जायेगी।

इस प्रकार माप पुस्तिका में कार्य स्थल के प्रभारी वनरक्षक द्वारा किये गये कार्य के प्रथमतया अंकित मात्रा की शत प्रतिशत उप खण्डवार भौतिक सत्यापन प्रभारी वनपाल एवं क्षेत्रीय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

<u>अनुच्छेद संख्या 8</u> :– प्रत्येक कार्य स्थल का उप वन संरक्षक एवं सहायक वन संरक्षक द्वारा समय–समय पर अधिकाधिक निरीक्षण किया जाकर सुनिश्चित किया जायगा कि सम्पादित हो रहा भौतिक कार्य निर्धारित तकनीकी गुणवत्ता (Specification) के अनुरूप हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य स्थल के क्रमशः 20 प्रतिशत व 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर उप खण्डों का भौतिक सत्यापन रैंडम चयन किया जाकर क्रमशः सहायक वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा। उक्त सत्यापित उप खण्डों का उल्लेख प्लान्टेशन जरनल में संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

तथापि, अपने अधीन सम्पादित हो रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अथवा वित्तीय अनियमितता के लिए उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

7/4/05
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. ( )05/विकास/प्रमुवसं/ 140-200 दिनांक : 7-4-05

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

7/4/05
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

C:\My Documents\Tem. I.doc

100 (54)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भवन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प. ( )2008/प्रमुवसं/कार्मिक/ दिनांक जून, 2008

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश संख्या.प.12(4)वन/2001 जयपुर दिनांक 4 जनवरी, 2005 के अनुसार विभाग की समस्त मूल्यांकन इकाईयॉ (समवर्ती मूल्यांकन इकाई को भी सम्मिलित करते हुए) को वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एंव कन्करेंट इवेल्युशन के अधीन किया गया था एवं वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एंव कन्करेंट इवेल्युशन को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जयपुर के अधीन किया गया था। कालान्तर में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मूल्यांकन एवं प्रबोधन) का एक नवीन पद सृजित होने के पश्चात समस्त मूल्यांकन एवं प्रबोधन के सामग्रिक नियंत्रण इन्हें दिया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में मेरे ध्यान में लाया गया कि कुछ मूल्यांकन इकाईयॉ वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एंव कन्करेंट इवेल्युशन को उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्य की रिपोर्ट नहीं करती है। इस कार्यालय में पदस्थापित उप वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन भी उनसे अथवा सम्बधित अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मूल्यांकन एंव प्रबोधन) से आदेश नहीं लेकर विभाग में मूल्यांकन करने के लिये चले जाते है जिसे गम्भीरता से लिया गया है।

अतः जब तक राज्य सरकार के द्वारा आदेश में संशोधन नहीं किया जाता है, विभाग की जयपुर स्थित सभी मूल्यांकन इकाईयॉ तथा उप वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन भी वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एंव कन्करेंट इवेल्युशन को रिपोर्ट करेगें। वे वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एवं कन्करेंट इवेल्युशन द्वारा ही यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित कराकर क्षैत्र में जायेगें एंव मूल्यांकन कार्य सम्पन्न होने के 15 दिन के अन्दर वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एंव कन्करेंट इवेल्युशन को मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगें। इसी प्रकार वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एंव कन्करेंट इवेल्युशन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मूल्यांकन (मूल्यांकन एंव प्रबोधन) के अधीन रहकर कार्य करेगें।

ह०

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

10 (35)

क्रमांक प. ( )2008/प्रमुवसं/कार्मिक/3161-74 दिनांक 10 जून, 2008

प्रतिलिपिः–

1–अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन/अरावली वृक्षारोपण परियोजना/परियोजना/मूल्यांकन एंव प्रबोधन को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2–मुख्य वन संरक्षक, तेदूपता/ मुख्य वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एंव मूल्यांकन को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3–वन संरक्षक, विभागीय कार्य एंव समवर्ती मूल्यांकन, कार्यालय हाजा/वन संरक्षक, तेदूपत्ता/वन संरक्षक, वानिकी विकास परियोजना(अ.वृ.प.) को सूचनार्थ एंव पालनार्थ दी जा रही है।

4–उप वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, कार्यालय हाजा/उप वन संरक्षक मूल्यांकन एंव प्रबोधन (अ.वृ.प.) को सूचनार्थ एंव पालनार्थ दी जा रही है।

5–गार्ड फाईल

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

MnE

602 36

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. ( )2008/स.मू./प्रमुवस/ 786 दिनांक : 11.7.08

परिपत्र

वन विभाग के क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों के मूल्यांकन किये जाने के सम्बन्ध में 5 मूल्यांकन इकाईयों का गठन किया गया था। उक्त पाँचों ईकाईयों के कार्य क्षेत्र का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है, ताकि भविष्य में उनके द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में किसी प्रकार की ओवर लेपिंग न हो। भविष्य में वे उन्हें आवंटित क्षेत्र का ही मूल्यांकन करेंगे तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन सीधे ही वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एण्ड सी.ई., राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करेंगे :-

1. उप वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं मूल्यांकन, वन भवन, जयपुर।

   वे मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य संपादित करेंगे।

2. उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, अरावली वृक्षारोपण परियेाजना, जयपुर।

   वे मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य संपादित करेंगे।

3. उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, सामाजिक वानिकी, वन भवन, जयपुर।

   वे मुख्य वन संरक्षक, वानिकी विकास परियेाजना, कोटा के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य संपादित करेंगे।

4. उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, वानिकी विकास परियोजना, अरावली भवन, जयपुर।

   वे मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य संपादित करेंगे।

5. उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन, इन्दिरा गाँधी नहर परियेाजना, बीकानेर।

   वे मुख्य वन संरक्षक, इन्दिरा गाँधी नहर परियेाजना, बीकानेर के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य संपादित करेंगे।

मूल्यांकन हेतु वृक्षारोपण स्थलों का चयन वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एण्ड सी.ई., राजस्थान, जयपुर ड्रा के द्वारा करेंगे।

10/7

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. ( )2008/स.मू./प्रमुवसं/ 787-850 दिनांक : 11.7.08

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर/अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा।
3. समस्त उप वन संरक्षकगण/मण्डल वन अधिकारीगण।

11/07/08

10/7

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

M n F

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. ( )2008/स.मू./प्रमुवसं/ 879 दिनांक : 19.7.08

परिपत्र

वन विभाग के क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षारोपण स्थलों के कार्यों के सतत् मूल्यांकन किये जाने हेतु 5 मूल्यांकन दलों (Units) का गठन किया हुआ है। उक्त मूल्यांकन दलों हेतु पूर्व में प्रसारित दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित नवीन दिशा–निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। मूल्यांकन दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना करेंगे :–

1. मूल्यांकन दलों को प्रस्तावित क्षेत्र के मूल्यांकन की रिपोर्ट कार्य समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर–अन्दर वन संरक्षक, डी.ओ.सी. एण्ड सी.ई., राजस्थान, जयपुर को आवश्यक रूप से देनी होगी।
2. मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कुल 20 प्रतिशत प्लान्टेशन का चयन किया जायेगा जिनमें से 10 प्रतिशत प्लान्टेशन साईट्स का शत् प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत का सैम्पल पद्धति से मूल्यांकन किया जायेगा।
3. मूल्यांकन दलों को गणना किये जाने वाले वृक्षों के प्रजातिवार तथा वैज्ञानिक नाम स्पष्ट रूप से अंकित करने होंगे। इसके साथ ही यह उल्लेख भी करना होगा कि वृक्षारोपण क्षेत्र में उक्त प्रजाति के पौधे उपयुक्त भी है अथवा नहीं ?
4. मूल्यांकन दल को साझा वन प्रबन्ध के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी। इसी प्रकार से वृक्षारोपण स्थल का कटबेक आपरेशन तथा वहाँ प्रूनिंग की गई है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराना होगा।
5. मूल्यांकन दल को मूल्यांकन स्थल के अन्दर तथा बाहर के फोटोग्राफ प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. सम्बन्धित वन मण्डल द्वारा जो रिकार्ड मूल्यांकन दल को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे प्रतिवेदन में अंकित कियां जावे, जैसे माप पुस्तिका, प्लान्टेशन जनरल, माईक्रो प्लान, प्राक्कलन, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का रिकार्ड इत्यादि।
7. मूल्यांकन दल को स्थानीय कार्य प्रभारी को साथ में लेकर कार्य करना होगा तथा उन्हें फील्ड बुक पर हस्ताक्षर लेने होंगे।
8. मूल्यांकन दल को विद्यमान वन उपज की निकासी का ब्यौरा आवश्यक रूप से प्रतिवेदन में देना होगा।
9. मूल्यांकन प्रतिवेदन में वृक्षारोपण स्थल का चयन मॉडल के अनुरूप है अथवा नहीं के बारे में अवगत कराना होगा।
10. पौधों की जीवितता प्रतिशत के साथ में पौधों की औसत ऊँचाई भी अंकित किया जाना आवश्यक है।
11. जिन वृक्षारोपण स्थलों में घास की बीज सोईंग की गई है, उनके परिणाम प्रतिवेदन में दर्शाये जायें।
12. इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रसारित परिपत्र क्रमांक एफ. ( )प्रमुवसं/स.मू./99/3505 दिनांक 29.9.1999 में आंशिक संशोधन करते हुऐ प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका गणना होने के पश्चात मूल्यांकन दल को उपलब्ध करायेंगें ना कि पहले। मूल्यांकन दल गणना प्रपत्रों की फोटो प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को उपलब्ध करायेंगे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. ( )2008/स.मू./प्रमुवसं/ 880-975 दिनांक : 19.7.08

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर/अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर/कोटा।
3. समस्त उप वन संरक्षकगण/मण्डल वन अधिकारीगण।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

105

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.7(24)02–03/विभा.वृक्षा.का./प्रमुवसं/3050–3100 दिनांक : 26–6–06

निमित्त,

समस्त उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारीगण

विषय :– जीवितता प्रतिशत की गणना।

महोदय,

कृपया प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 7(24)02–03/विभा.वृक्षा.का./प्रमवसं/10401 दिनांक 31.3.2004 का अवलोकन करें। इस परिपत्र में यह अपेक्षा की गई थी की क्षेत्र स्तरीय समस्त प्रतिवेदन मई के अन्त तक मण्डल कार्यालय को प्रेषित कर दिये जावेगें एवं वन मण्डल कार्यालय में आलौच्य गणना की संलग्न प्रपत्राधीन वृक्षारोपणवार अभिलेख रखा जायेगा।

सम्भवतः परिपत्र में दिये गये निर्देश के अनुसार वृक्षारोपणवार अभिलेख आपके द्वारा रखा जा रहा है। इस परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष की गणना में यदि जीवित पौधों की संख्या 40 प्रतिशत से कम हो तो सहायक वन संरक्षक/उप वन संरक्षक द्वारा यथाशीघ्र निरीक्षण कर तथ्यावेंक्षण उपरान्त उच्चाधिकारियों को अगले 30 दिन में प्रेतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा एवं मानवीय गलती पाये जाने के बाद ऐसे वृक्षारोपण क्षेत्र की शत प्रतिशत गणना कर संबंधित लोक सेवकों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जिम्मेवारी उप वन संरक्षक की होगी। चूंकि माह जून के अन्त तक वृक्षारोपण क्षेत्र में जहां 40 प्रतिशत से कम जीवितता पाई गई है उसके संबंध में कार्यवाही की जानी है। अतः कृपया आप अतिशीघ्र इस संबंध में कार्यवाही सम्पूर्ण कर एक विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें जिसमें कितने वृक्षारोपण हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का संधारण कार्य कराया या एवं उसमें कितने में 40 प्रतिशत से कम जीवितता प्रतिशत पाया गया एवं क्या संबंधित दोषी लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही आपके द्वारा प्रारम्भ की गई है। यह समस्त नोट जुलाई के अन्त तक आवश्यक रूप से निम्न हस्ताक्षरी को अर्द्ध शासकीय पंत्र के द्वारा भेजने का कष्ट करें, जिससे कि राज्य सरकार को इस संबंध में अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(यू.एम.सहाय)
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(विकास) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.7(24)02–03/विभा.वृक्षा.का./प्रमुवसं/ दिनांक :

1. प्रतिलिपि समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षकगणों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया आपके अधीन कार्यालयों की संकलित सूचना प्रेषित करें।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, वन भवन, जयपुर को दी जाकर लेख है कि मण्डलवार सूचना मुख्यालय पर भी संधारित की जावे।

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(विकास) राजस्थान, जयपुर

40

108

D.O.No.F.22(2)86/Dev/CCS/ 6848-65

BHARAT SINGH,
CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS,
RAJASTHAN.

Van Bhawan,
Vaniki Path,
Jaipur.

Dated 25 April, 1986.

Subject:- Evaluation of Survival percantage of plants in last 5 years plantation.

My dear,

The financial year 1985-86 is over and so is the work of plantation and distribution of plants. Now we should immediatly start the work of evaluating the survival percentage of plants. This information is to be collected for platation raised during last five years i.e. 1981, 1982, 1983, 1984, and 1985 the methodology for evaluating the survival percantage is contaned in Departmental circular (Copy enclosed). while perusing t the reports of survival of plants receiv ed from different divisions it has been observed that No. of plants raised through sowings and their survival percentage is not indicated in the reports consequatly the numbers of plants planted in any particular year does not telly with the figuars alreadly reported under 20 point programme progress reports. Hence 1986 reports must give an estimation of survival of sowings also.

Therefore, while conducting the evaluation study this year above aspect may also be kept in view and for every year, following information should be provided without fail.

a) Total No. of plants planting in a particular year (Plantation wise)
   i) Through Planting
   ii) Through Sowings.
b) Intensity of sampling (Prescribed intensity sampling is 10%)
c) Total No. of Plants in respect of which evaluation study has been carried out;
   i) through Planting
   ii) through sowings.
d) Total No. of plants found surviving in respect of (c) above
   i) through planting
   ii) through sowings.
e) Overall survival percentage of each of the preceding five years.

This evaluation study should be started at once and the result of the same alongwith your comments should

..2/-

be sent to Shri N.K. Khullar, Addl. C.C.F. (Dev.) through a D.O. letter by the end of June 1985 positively. Ensure strict compliance of this letter by D.F.O.'s/Dy.C.F.'s/S.C.O. posted under your control.

With good wishes.

Yours sincerely,

(Bharat Singh)

Encl: as above

Shri _ _ _ _ _ _ _ _ _

Conservator of Forests,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

No.F.22(2)86/Dev/CCF/ 6866-6966 Dated 25/4/86

Copy forwarded to Shri _____ for strict compliance. Please ensure that this evaluation study is completed by 15th June, 1986 and evaluation report be sent to concerning Conservator of Forests latest by 25th June 1986 under intimation to this office. The model of the proforma to be used for sending the survival percentage report is enclosed herewith for your guidence.

D.F.O./Dy.C.F./S.C.O. _____

Chief Conservator of Forests,
Rajasthan, Jaipur.

113

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.19( )2011/कार्मिक/प्रमुवसं/ 2234-2310 दिनांक : 13.07.11

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/ जोधपुर/ बीकानेर/ भरतपुर/ कोटा/ अजमेर/ उदयपुर।
वन्य जीव, जयपुर/ जोधपुर/ कोटा/ उदयपुर/ भरतपुर।
वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/ सिल्वीकल्चर, जयपुर/ तेन्दू पत्ता, जयपुर/ विभागीय कार्य, जयपुर/ प्रबोधन एवं मूल्यांकन, जयपुर।

विषयः— **दिनांक 10.06.2011 को आयोजित प्रबोधन एवं मूल्यांकन विंग की बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना बाबत।**

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 10.06.2011 को वन भवन, जयपुर में मूल्यांकन एवं प्रबोधन की बैठक अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ली गई जिनमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये, उनकी अतिशीघ्र अनुपालना कर अनुपालना प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 15.07.2011 तक भेजना सुनिश्चित करें :—

1. इस कार्यालय के पत्रांक एफ. 19( )2011/कार्मिक/प्रमुवसं/1642—48 दिनांक 26.05.2011 की अनुपालना में मूल्यांकन दल का गठन कर लिया होगा। यदि मूल्यांकन दल का गठन नहीं किया गया है तो तत्काल मूल्यांकन दल का गठन कर कार्य प्रारम्भ करवाना संबंधित मुख्य वन संरक्षक सुनिश्चित करें।
2. हरित राजस्थान वर्ष 2010—11 का मूल्यांकन कार्य 15 जुलाई, 2011 तक पूर्ण कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम. एण्ड ई., राजस्थान, जयपुर को जरिये मुख्य वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर को प्रेषित करना संबंधित मुख्य वन संरक्षकगण सुनिश्चित करें।
3. नवनियुक्त वनरक्षकों को फील्ड प्रशिक्षण (एक्सकर्सन) के लिए बारी—बारी से मूल्यांकन कार्य में लगाया जाये।
4. गश्तीदल के स्टाफ को एक माह (15 जून, 2011 से 15 जुलाई, 2011) तक मूल्यांकन कार्य सम्पन्न करवाने हेतु लगाया जाता है।
5. मूल्यांकन कार्य हेतु वित्त विभाग के परिपत्रानुसार वाहन किराये पर लेकर मूल्यांकन कार्य करवाया जावे।
6. मूल्यांकन दल के ठहरने की व्यवस्था एवं सुचारू रूप से कार्य संपादन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. मूल्यांकन दल को मूल्यांकन कार्य हेतु सामग्री यथा जी.पी.एस., वाहन, सर्वेयर, कैमरा, टार्च, फीता, रस्सी, चूना, कम्प्यूटर/लैपटाप मय ओपरेटर आदि उपलब्ध करावें।

P.T.O.

8. वन पौधशालाओं में संबंधित उप वन संरक्षकगण आर्थिक, धार्मिक, पर्यावरणीय महत्व के पौधे जैसे बड़, पीपल, खिरनी, खैर, रोहिड़ा, कदम, खेजड़ी आदि प्रजातियों का पौध तैयारी को प्राथमिकता देवें जिनका मूल्यांकन वर्ष 2010—11 के कार्यों का मूल्यांकन होने के पश्चात्, मूल्यांकन दल नर्सरियों में जाकर करेगा।

9. वर्ष 2010 में आपके अधीन मनाये गये वन महोत्सव स्थलों का मूल्यांकन करवाकर जिलेवार फोटोग्राफ भिजवावें।

10. मूल्यांकन दल, मूल्यांकन करते समय इस बात का मूल्यांकन करें कि पौधारोपण स्थल पर उपलब्ध प्राकृतिक पौधे (जैसे धौक, खैर, खिरनी, छीला, खेजडी, आदि) के विकास एवं उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

11. प्रबोधन एवं मुल्यांकन विंग का उद्देश्य विभागीय कार्यों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार करना है। अतः इस उद्देश्य को अर्जित करने हेतु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई, राजस्थान, जयपुर द्वारा जो भी निद्रेश दिये जाये उनकी गम्भीरता से पालना सुनिश्चित करें/करवावें।

भवदीय,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(एच.ओ.एफ.एफ.),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.19( )2011/कार्मिक/प्रमुवसं/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज., जयपुर
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई., राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम. एण्ड ई./विकास/भू—संरक्षण/ श्रम एवं विधि/वन सुरक्षा/प्रशासन/उत्पादन/पी.एफ. एण्ड सी., जयपुर।
5. परियोजना निदेशक, राजस्थान जैव विविधता परियोजना, अरावली भवन, जयपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(एच.ओ.एफ.एफ.),
राजस्थान, जयपुर

114

कार्यालय : अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ ( ) कार्मिक / समू / अप्रमुवसं / M&E / 2012 / 605-16 दिनांक 24 सितम्बर, 2012

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर / अजमेर / भरतपुर / कोटा /
बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर / वन्य जीव कोटा /
वन्य जीव, उदयपुर / वन्य जीव, जोधपुर /
नदी घाटी परियोजना, कोटा /
बनास नदी घाटी परियोजना जयपुर

विषय : मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर का परिपत्र क्रमांक एफ 7(5)आप्र / वसं / परिसूमू / 94 / 4039 दिनांक 19-11-1996 की ओर आपका ध्यान आकर्षित है जिसके अनुसार आपको निर्देश दिये गये थे कि :

1. प्रत्येक कार्यस्थल को भूतल की बनावट / प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर एवं पत्थरगढ़ी करके उपखण्ड़ों में विभाजित किया जावे तथा समतल कार्यस्थलों पर उपखण्ड़ों का विभाजन पत्थरगढ़ी या अन्य विधि से किया जावे।
2. यह भी निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक उपखण्ड़ को अलग अलग नम्बर दिये जाकर इसमें करवाये जाने वाले भू-संरक्षण कार्य, मृदा कार्य, पौधारोपण व बीजारोपण हेतु प्रजातियों के चयन के सम्बन्ध में उपचार योजना तैयार की जावे। बाड (फैन्सिग) करते समय प्रत्येक 50 मीटर पर निशानदेही कर बाड के समस्त परिमाप अंकित किया जावें विभाग द्वारा पूर्व में प्रसारित किये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिये जॉब नम्बर आवंटित करना अनिवार्य है। प्रत्येक जॉब नम्बर के आगे कोष्ठक के अन्दर उपखण्ड़ की संख्या उल्लेखित की जावे ताकि किसी भी कार्यस्थल को कितने उपखण्ड़ों में विभाजीत किया गया है, आसानी से ज्ञात हो सके।
3. प्रत्येक कार्यस्थल हेतु एक वृक्षारोपण कार्ड पर कार्यस्थल का मानचित्र, (स्केच मैप) भी रेखांकित किया जावे। इस कार्य में उपखण्ड़वार करवाये गये कार्य का ब्यौरा एवं उपखण्ड़ का नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। वृक्षारोपण कार्ड पर विभिन्न विकास कार्यो का किस्म अनुसार नम्बर मुखपृष्ठ के बाये कोने पर अंकित किया जावे जो निम्न प्रकार रहेगा :-

क्र.सं कार्य की किस्म

1. वृक्षविहीन वन क्षेत्रों का पुनरारोपण
2. परिभ्रांषित वनों का पुनर्वास
3. सामुदायिक वृक्षारोपण

4. टिब्बा स्थिरीकरण
5. चारागाह विकास
6. नहरों के किनारे वृक्षारोपण / रेल्वे साईड़ वृक्षारोपण / रोड साइड़ (स्ट्रिप) वृक्षारोपण
7. अन्य

4. प्रत्येक वृक्षारोपण कार्य के प्लान्टेशन जरनल के खण्ड़वार नक्शे में एवं खण्डों के विवरण में यह अंकित किया जावे कि कौन कौन से खण्डों में किस किस प्रजाति के कितने कितने प्राकृतिक पौधों अथवा रूट स्टॉक को उपचारित किया गया है। उपचारित करने के विवरण में यह भी अंकित किया जावे कि प्राकृतिक पौधों के क्या क्या उपचार जैसे कि कटबैक, सिंगलिग, प्रूनिंग, निराई–गुड़ाई, थाँवला बनवाई अथवा नमी संरक्षण हेतु ट्रेन्च खुदाई करवाई गई है तथा किस किस खण्ड़ में कितने कितने प्राकृतिक पौधों में यह उपचार कार्य किया गया है।
5. कैटल गार्ड हट का निर्माण किस उपखण्ड़ में किया गया है, यह दर्शायें।
6. ऑयरन गेट कौनसे उप खण्ड़ में लगाया गया है, यह दर्शाया जावे।
7. निरीक्षण पथ का माप उपखण्ड़वार दर्शायें।

विभाग में चयनित वृक्षारोपण क्षेत्रों के मुल्यांकन के दौरान मूल्यांकन दलों द्वारा यह पाया गया है कि अधिकांश कार्यस्थलों पर वर्तमान में उक्त दिशा–निर्देशों की पालना नहीं किया जा रही है। अतः सुनिश्चित करें कि उक्त परिपत्र के निर्देशों की अक्षरशः पालना प्रत्येक कार्यस्थल पर की जावे ताकि मुल्यांकन कार्यो में अपेक्षाकृत गुणवत्ता लाई जा सके। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करे।

भ व दी य

24/9/12

o/c अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रबोधन एवं मूल्यांकन
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ ( ) कार्मिक / समू / अप्रमुवसं / M&E / 2012 /617-23 दिनांक 24 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक..................................

24/9/12

o/c अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रबोधन एवं मूल्यांकन
राजस्थान, जयपुर।